

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 940-एफ(8)3-48-2000-अड़तालीस.—(1) श्री बी. आर. शर्मा, अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग को उप संचालक, संसदीय विद्यापीठ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के फलस्वरूप रिक्त हुए अवर सचिव के पद पर श्री रविनीश तिवारी, निजी सचिव को अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था, जिसके फलस्वरूप निजी सचिव का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया है.

2. अतः, राज्य शासन, कुमारी छाया लोनारे, निजी सहायक, संसदीय कार्य विभाग को निजी सचिव के पद (वेतन बैंड 9300-34800+4200 ग्रेड-पे) पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है.

3. यह पदोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा पद उपलब्ध न होने पर कु. लोनारे को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.

4. निजी सचिव की स्पष्ट रिक्त उपलब्ध होने तक कु. लोनारे का नाम निजी सहायक की वरिष्ठता सूची में यथावत रहेगा.

5. प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग में निजी सचिव का एक पद होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-7-2002-3-एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के पद 3(7) के अनुसार इस पदोन्नति पर आरक्षण लागू नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश गुप्ता, उपसचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ 24-31-13-ए-सोलह.—चूँकि, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर संगठन इन्दौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और चूँकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है।

### अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की वेतन वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
2. क्या कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत तथा कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की राशि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो कितनी है?
3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को आवास भत्ता, वाशिंग भत्ता, एल.टी.ए. दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वर्ष में दो जोड़ी यूनिफार्म एवं दो जोड़ी शूज दिये जाने का औचित्य है?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**एस. एस. कुमरे**, उपसचिव.

## तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ 3-2-2010-बयालीस-1.—राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञाप क्रमांक दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा “उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना” के लिये पात्र संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम अधिसूचित किये गये हैं। राज्य शासन एतद्वारा उक्त सूची में Northern University Boston, USA को कंडिका-2 (स) देश के बाहर से विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थाएं की श्रेणी में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है।

2. शेष प्रावधान यथा अधिसूचित अनुसार हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शमीम उद्दीन**, अपर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

फा. क्र. 1(बी)-3-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गिरधर गोपाल तिवारी पुत्र स्व. श्री हरी प्रसाद तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील कन्नौद, जिला देवास नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.**—श्री गिरधर गोपाल तिवारी की जन्म तिथि 1-7-1958 (एक जुलाई उन्नीस सौ अट्ठावन) है और उनकी दिनांक 30-6-2020 (तीस जून दो हजार बीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री कामता प्रसाद यादव पुत्र स्व. श्री चिन्तामन यादव, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला होशंगाबाद नियुक्त

करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.—**श्री कामता प्रसाद यादव की जन्म तिथि 8-2-1974 (आठ फरवरी उन्नीस सौ चौहत्तर) है और उनकी दिनांक 7-2-2036 (सात फरवरी दो हजार छत्तीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-29-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अभय दुबे पुत्र श्री रमेशचन्द्र दुबे, अधिवक्ता को उनके

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.—**श्री अभय दुबे की जन्म तिथि 5-7-1972 (पांच जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर) है और उनकी दिनांक 4-7-2034 (चार जुलाई दो हजार चौत्तीस) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.**

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ 3-38-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17(क)(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण के आदेश क्रमांक एफ-3-25-99-बत्तीस भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत कलेक्टर एवं सचिव जिला योजना समिति रायसेन के आदेश क्रमांक 588/रायसेन, दिनांक 25 सितम्बर 2002 के अन्तर्गत गठित समिति को विलोपित करते हुए मण्डीदीप विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद नाम	संस्था/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद, मण्डीदीप	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, रायसेन	सदस्य
(ग)	लोक सभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र, विदिशा / रायसेन	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, भोजपुर	सदस्य
(ङ)	लागू नहीं	लागू नहीं	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज	सदस्य
(छ)	1-सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपलिया लोरका (ग्राम पिपलिया लोरका)	सदस्य
	2-सरपंच	ग्राम पंचायत, सतलापुर (ग्राम सतलापुर)	सदस्य
	3-सरपंच	ग्राम पंचायत, नयापुरा मेवाती (ग्राम नयापुरा मेवाती, मोईजपुरा, खनपुरा, झलारकला)	सदस्य
	4-सरपंच	ग्राम पंचायत, सराकिया (ग्राम सराकिया, खामखेड़ा)	सदस्य
	5-सरपंच	ग्राम पंचायत, इटयाकला (ग्राम इटयाकला)	सदस्य
	6-सरपंच	ग्राम पंचायत, मण्डकौंसिया (ग्राम मण्डकौंसिया, नानाखेड़ी)	सदस्य
	7-सरपंच	ग्राम पंचायत, सिमराई (ग्राम सिमराई, बेरसिया, शोभापुर)	सदस्य
	8-सरपंच	ग्राम पंचायत, हरई (ग्राम प्रेमतालाव)	सदस्य
	9-सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपलिया गज्जू (ग्राम पिपलिया गज्जू)	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ज)	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानरर्स इण्डिया (म.प्र. रीजनल चेप्टर का प्रतिनिधि)	सदस्य
	प्रतिनिधि	कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया का प्रतिनिधि	सदस्य
	प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला रायसेन	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायसेन	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायसेन	सदस्य
	प्रतिनिधि	महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल	सदस्य
	प्रतिनिधि	जिला वन मण्डलाधिकारी, जिला वन मण्डल कार्यालय, रायसेन	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल जिला कार्यालय भोपाल—सीहोर म.प्र.	सदस्य, सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. मुद्गल, अवर सचिव.

### महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1949-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है. अर्थात् :-

#### अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	छतरपुर	छतरपुर	श्री संजय कुमार कस्तवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

No. 1949-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), the State Government hereby designates Judicial Officer as specified in column (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

#### SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chhatarpur	Chhatarpur	Shri Sanjay Kumer Kastvar, Chief Judicial Magistrate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-51-12-तीन-862.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राजपुर, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में **सुश्री बेबीबाई कामरेड आसाराम डावर** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, **सुश्री बेबीबाई कामरेड** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी के पास दाखिल करना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री बेबीबाई कामरेड** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री बेबीबाई कामरेड** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में **सुश्री बेबीबाई कामरेड** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते

हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी **सुश्री बेबीबाई कामरेड** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा **सुश्री बेबीबाई कामरेड** को कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23- मार्च, 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी **सुश्री बेबीबाई कामरेड** द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री बेबीबाई कामरेड** को दिनांक 2 जुलाई, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी **सुश्री बेबीबाई कामरेड** के पति श्री आसाराम डावर सुनवाई में उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी **सुश्री बेबीबाई कामरेड** स्वास्थ्य संबंधी कारण से सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं। श्री आसाराम डावर ने समक्ष में उपस्थित होकर व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में बताया कि वह निर्वाचन होने के 15 दिन बाद मजदूरी हेतु राजपुर से बाहर चले गये थे, इस कारण उन्होंने व्यय लेखे जमा नहीं किए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री बेबीबाई कामरेड** द्वारा नियत समयावधि में मूल निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री बेबीबाई कामरेड आसाराम डावर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् राजपुर, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-5-12-तीन-889.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

**माह जुलाई 2012** में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद्, पांडुरना, जिला छिन्दवाड़ा** के निर्वाचन में **श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद् पांडुरना, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 415/न.पा.-व्यय-12 दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 3 जनवरी, 2013 को जारी

किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

**श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 फरवरी, 2013 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 19 फरवरी, 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 21 मई, 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 6 जुलाई, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पांडुरना, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 25 जून, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् पांडुरना, जिला छिन्दवाड़ा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( **जी. पी. श्रीवास्तव** )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## कार्यालय, कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 158-स्था.निर्वा.-मण्डी-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), निम्नांकित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र. (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम एवं पता (3)	प्रतिनिधि (4)	मण्डी अधिनियम की धारा (5)
1	बालाघाट	श्री अजय कामड़े, ग्राम मोहझरी, तहसील लांजी जिला बालाघाट.	विधायक लांजी	नियम 2010 का नियम 4
2	कटंगी	श्री सुरेन्द्र आत्मज ईशनलाल ग्राम-पोस्ट खमरिया तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	विधायक कटंगी	नियम 2010 का नियम 4

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2013-13981.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा “कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र. (1)	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	श्री रोहित भावसार / श्री रमेश चन्द्र भावसार वार्ड नं. 24, कृष्णापुरा, गंजबासौदा.	मा. श्रीमती सुषमा स्वराज, सांसद, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, विदिशा.	1972 की धारा 11(5)

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2013-13983.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा “कृषि उपज मण्डी समिति कुरवाई, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र. (1)	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	श्री बृजेन्द्र सिंह / स्व. श्री हरनाम सिंह दरवार नि. ग्राम शेखपुर, तह. कुरवाई, जिला विदिशा.	मा. श्री हरिसिंह सप्रे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र कुरवाई.	1972 की धारा 11(5)

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग			(1)	(2)	(3)
हरदा, दिनांक 24 अगस्त 2013			4	—''—	नीलगढ़
			5	—''—	बुंदड़ा
			6	—''—	देदलामाल (वीरान)
			7	—''—	छिदगाँव
			8	—''—	गाडरापुर
			9	—''—	ऐड़ाबेड़ा
			10	—''—	रेवापुर
			11	—''—	नीमगाँव
			12	—''—	डोमनमउ
			13	—''—	मिर्जापुर
			14	—''—	उड़ावा
			15	—''—	कायागाँव
			16	—''—	रिछाड़िया
			17	—''—	झाड़पा
			18	—''—	बेड़ागाँव
			19	—''—	देदला रैयत
			20	—''—	नहाड़िया
			21	—''—	सामरधा
			22	—''—	नहालखेड़ा
			23	—''—	रान्याखेड़ी
			24	—''—	बैरागढ़
			25	—''—	भापनेर (वीरान)
			26	—''—	कुकरावत
			27	—''—	झुंडगाँव
			28	—''—	सुल्तानपुर (वीरान)
			29	—''—	रेहटा खुर्द
			30	—''—	बीरजाखेड़ी
			31	—''—	सुखरास
			32	—''—	कड़ोला उबारी
			33	—''—	पलासनेर
			34	—''—	मसनगाँव
			35	—''—	गांगला
			36	—''—	देदला (वीरान)
			37	—''—	कांकरिया
			38	—''—	केलनपुर
			39	—''—	पहटगाँव
			40	—''—	खामापड़वा
			41	—''—	बम्हनगाँव
			42	—''—	कनारदा
			43	—''—	खारपा
			44	—''—	जामली
			45	—''—	गहाल

  

सारणी			(1)	(2)	(3)
क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम			
(1)	(2)	(3)			
1	थाना कोतवाली, हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा.	पीपलघटा			
2	—''—	झालवा			
3	—''—	धनगाँव (मुकाती)			



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
46	—''—	कमताड़ा	6	—''—	लछौरा
47	—''—	बीड़	7	—''—	समसाबाद
48	—''—	बूंदड़ा गहाल	8	—''—	धौलपुर खुर्द
49	—''—	बैरागढ़	9	—''—	जलोदा
क्र. 8388-विधि-2013.—मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 (क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.			10	—''—	भवरास
मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी "करताना" की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.			11	—''—	गोयत
अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—			12	—''—	नान्द्रा
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और			13	—''—	गुल्लास
(दो) "करताना" जो जिला हरदा के थाना टिमरनी एवं तहसील टिमरनी अन्तर्गत है, को "पुलिस चौकी" घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—			14	—''—	लाखाखेड़ी
सारणी			15	—''—	गोगिया
क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम	16	—''—	बिल्लौद
(1)	(2)	(3)	17	—''—	रून्दलाय
1	थाना टिमरनी, तहसील टिमरनी, जिला हरदा.	करताना	18	—''—	सन्यासा
2	—''—	गोदडी	19	—''—	गाड़ामोड़कला
3	—''—	काथडी	20	—''—	गोंदागांव खुर्द गंगेशरी
4	—''—	कुहीगवाड़ी	21	—''—	नयागांव
5	—''—	छीपानेर	22	—''—	सोनखेड़ी
			23	—''—	घोड़ाकुन्ड
			24	—''—	खोडिल्या खेड़ी
			25	—''—	गोंदागांव कला
			26	—''—	भोनखेड़ी
			27	—''—	नौसर
			28	—''—	जिजगांव
			29	—''—	तजपुरा
			30	—''—	खरतलाय
			31	—''—	डगामा नीमा
			32	—''—	बिच्छापुर
			33	—''—	गाडरापुर
			34	—''—	रायबोर
			35	—''—	बघबाड़
			36	—''—	बाजनिया
			37	—''—	चुनरी (वीरान)
			38	—''—	पचौरा (वीरान)
			39	—''—	आर्याखेड़ी (वीरान)
			40	—''—	सावलखेड़ा (वीरान)
			41	—''—	बीरजाखेड़ी (वीरान)
			42	—''—	जिजलवाड़ा (वीरान)
			43	—''—	इकडालिया (वीरान)
			44	—''—	गोरिया (वीरान)
			45	—''—	बिचकुंडी

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
46	—''—	गाग्याखेड़ी (वीरान)	2	—''—	नीमखेड़ा
47	—''—	डुमडुम (वीरान)	3	—''—	साक्ट्या
48	—''—	मथनी (वीरान)	4	—''—	बड़नगर
49	—''—	मागलगांव (वीरान)	5	—''—	सालाबेड़ी
50	—''—	चिचोट (वीरान)	6	—''—	खमलाय
51	—''—	गौसर (वीरान)	7	—''—	हरपाल्या
क्र. 8388-विधि-2013.—मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 (क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव घोषित किया गया है।			8	—''—	बारंगा
मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी "खिरकिया" की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है।			9	—''—	झाँझरी
अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—			10	—''—	बम्हनगांव
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और			11	—''—	धनवाड़ा
(दो) "खिरकिया" जो जिला हरदा के थाना छीपाबड़ एवं तहसील खिरकिया अन्तर्गत है, को "पुलिस चौकी" घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—			12	—''—	नगाँवा
सारणी			13	—''—	नगाँवा वीरान
क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम	14	—''—	देवपुर
(1)	(2)	(3)	15	—''—	सारंगपुर
1	थाना छीपाबड़, तहसील खिरकिया, जिला हरदा.	खिरकिया	16	—''—	खरड़ (वीरान)
			17	—''—	पाहनपाट
			18	—''—	चौकड़ी
			19	—''—	लोधियाखेड़ी
			20	—''—	कुड़ावा
			21	—''—	माँदला
			22	—''—	हिवाला
			23	—''—	बारंगी
			24	—''—	सक्तापुर
			25	—''—	धौलपुर
			26	—''—	बाफला
			27	—''—	लोनी
			28	—''—	मुहालकला
			29	—''—	नीमसराय
			30	—''—	काल्याखेड़ी
			31	—''—	गोलपुरा (वीरान)
			32	—''—	भीमपुरा
			33	—''—	बाबर
			34	—''—	भागपुरा

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 615-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	निसरपुर	163.00	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मनावर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 592-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

मकान का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	गोपालपुरा	22.00	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि. मान जोबट संभाग कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तरराज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से).

**नोट.**—मकानों के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा. वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 595-भू-अर्जन-13.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

मकान का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कवठी	234.00	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि. मान जोबट संभाग कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से).

**नोट.**—मकानों के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.न.घा. वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सी. बी. सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जुलाई 2013

### शुद्धि पत्र

पत्र क्र. 1639-स्था.-2013.—कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी, जिला-बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1160-भू-अर्जन-नहर-2013, दिनांक 27 मई 2013, प्रकरण क्रमांक 49-अ-82-2012-13-ग्राम खजूरी, तहसील राजपूर, प.ह. नंबर 18, जिला बड़वानी के संदर्भ में:—

उद्घोषणा का सरल क्रमांक	पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खसरा नंबर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	102/1/1	0.008	102/1/1/1	0.008

शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**श्रीमन् शुक्ला,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-147.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापिपल	भीलखेड़ा	0.314	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शाजापुर.	मेहरखेड़ी से कालापिपल रोड का भू-अर्जन का अतिरिक्त प्रकरण.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-148.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	पोलयकलां	0.024	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शाजापुर (म. प्र.).	पोलयकलां से अवन्तिपुर मार्ग निर्माण का भू-अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 424-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	तिन्दुहटा	5.287	कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा.	आमाड़ाडी न. 1 एवं 2 हिनौता
		आमाड़ाडी	1.299	अमरपाटन, सतना जिला (म. प्र.).	गजनौना माइनर नं. 1 हिनौता
		हिनौता गजनौना	1.763		गजनौना नं. 2 खरौदी माइनर
		करैया देवरी	1.968		बुढेरूआ माइनर बरगी व्यपवर्तन
		नादन शिवाप्रसाद	0.384		परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 425-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बठिया	0.251	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	बरगी व्यपवर्तन परियोजना
		बरहिया	0.020	संभाग सतना जिला (म. प्र.).	अन्तर्गत सौनौरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 426-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बन्डी	4.518	कार्यपालन यंत्री, क्र. 1, ना.घा. वि.प्रा. नागौद, सतना जिला (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
	नागौद	महदेवा	11.234		
	नागौद	भाजीखेड़ा	14.598		
	नागौद	शिवराजपुर	33.253		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मोहनलाल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. 5857-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	लालपुर	0.808	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	जोहिला जलाशय अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु.
			योग . . . 0.808		

क्र. 5858-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	अमरकंटक	3.577	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.	अमरकंटक गायत्री सरोवर योजना डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग . . .		
			3.577		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**नन्द कुमारम**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. 547-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन (ख) तहसील—भीकनगांव (ग) ग्राम—बसंतपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.154 हेक्टर आबादी (गांवठान) शासकीय भूमि में स्थित केवल संरचनाएं (मकान) भूमि को छोड़कर.

क्र.	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में.)	मद	संरचना के प्रभावित व्यक्ति का नाम	कालम नम्बर 2 के सर्वे नम्बर की भूमि पर स्थित संरचनाएं (मकान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1				कनसिंग पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा	मकान कच्चा 01
2				धनसिंग पिता दल्लू भीलाला, निवासी बसंतपुरा	मकान कच्चा 02
3	1/1/1/2	0.154	आबादी (गांवठान) शासकीय.	शेरू पिता दशरथ भीलाला, निवासी बसंतपुरा	मकान कच्चा 01
4				सुभान पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा	मकान कच्चा 01
5				सुरपाल पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा	मकान कच्चा 01
					योग . . . 06 मकान

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बसंतपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**नवनीत मोहन कोठारी**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 अगस्त 2013

प्र. क्र. 19-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) को उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरीहार	गोयरा	0.409	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की ठकुरायन-पुरवा माइनर नं. 2 की आर. 1 माइनर एवं क्रास रेग्युलेटर कम स्केप निर्माण हेतु ग्राम गोयरा का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की ठकुरानपुरवा माइनर नं. 2 की आर. 1 माइनर एवं क्रास रेग्युलेटर कम स्केप निर्माण हेतु ग्राम गोयरा का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरीहार	खड़ेही	0.065	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की खड़ेही वितरक नहर से आर 2 माइनर से निकली खड़ेही सब-माइनर के निर्माण हेतु ग्राम खड़ेही का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की खड़ेही वितरक नहर से आर 2 माइनर से निकली खड़ेही सब-माइनर के निर्माण हेतु ग्राम खड़ेही का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरीहार	अजीतपुर	0.084	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम अजीतपुर का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम अजीतपुर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरीहार	महेवा	0.225	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेवा का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेवा का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 8 अगस्त 2013

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-7140.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	सरई	3.827	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 13 अगस्त 2013

प्र. क्र. 3 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-7256.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	गदराझिरी	0.504	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-7255.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	गदराझिरी	0.184	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय के परिवर्तित मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-7254.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	खपारैयत	2.789	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-7252.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	धनगांव	0.497	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-7253.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	जामझिरी	0.729	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 1879-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	धरी नं. 1	1.65	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग देवलौंद, जिला शहडोल.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1881-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	सथनी	3.38	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग देवलौंद, जिला शहडोल.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1883-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	मगरदहा	0.67	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग देवलौंद, जिला शहडोल.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	गुना	31.440	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	देवपुर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 3-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	चौबारा	26.730	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 4-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	बनपुरा सापौन	10.630	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	देवपुर तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 5-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	देवपुर	12.480	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	देवपुर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 6-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	पथरगुवां	0.450	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	पथरगुवां तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.



प्र. क्र. 7-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	गैंती	12.600	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 8-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	राजनगर	121.874	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 9-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सुजानपुरा	53.112	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	देवीनगर	4.565	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 11-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	भिलौनी	2.760	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 12-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	भितरवार	1.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 13-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बनयानी	2.645	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 14-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	भैरा	19.200	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	खौड़ेरा 2, तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 15-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	एरौरा	2.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	खौड़ेरा 2 तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 16-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	लमेरा	19.320	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 17-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खौड़ेरा	45.600	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुदाम खाड़े**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 32-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	चकसोनपुर	0.070	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला
		योग . .	0.070	नहर संभाग क्र.-2, ग्वालियर.	माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 33-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	0.640	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.-2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2-एल एवं 3-एल मायनर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.640		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 34-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सिकरोदा	0.080	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र.-2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.080		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 35-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	डंगौरा	0.210	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र.-2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.210		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 36-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	ग्वालियर	सूपाट	0.150	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.-2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1-एल/2-एल मायनर के निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>0.150</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 37-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	ग्वालियर	जखारा	0.150	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.-2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>0.150</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 38-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	0.140	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.-2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर की मेन केनाल 3-एल मायनर एवं 1-एल/3-एल मायनर के निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>0.140</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	राजापुर	10.00	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र.)	खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	खैरी	2.50	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र.)	खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	लरायटा	2.50	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र.)	खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 16-अ 82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	रामपुर बंधिया	0.972	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर बाह परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.



प्र. क्र. 17-अ 82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	नथनपुर	1.600	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ 82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	दुपारिया	1.300	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ 82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	हिनोतिया	2.000	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 27 अगस्त 2013

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक योजना का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	निपानिया	1.270	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	निपानिया नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
विदिशा	नटेरन	मूंडरा पीताम्बर	3.320		
विदिशा	नटेरन	मंडरी खिरनी	1.110		
विदिशा	नटेरन	खेराई	5.470		
विदिशा	नटेरन	ताज खजूरी	1.140		
विदिशा	नटेरन	सेऊ	6.502		
विदिशा	नटेरन	रायपुर	2.900		
विदिशा	नटेरन	घटवई	0.150		
योग . .			21.832		

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की

सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक योजना का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	निपानिया	4.740	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	नागौर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
विदिशा	नटेरन	मूंडरा पीताम्बर	3.270		
विदिशा	नटेरन	नागौर	2.385		
विदिशा	नटेरन	पमारिया	2.088		
विदिशा	नटेरन	घिनोची	2.705		
विदिशा	नटेरन	नौराजखेड़ी	0.480		
विदिशा	नटेरन	सेऊ	1.388		
विदिशा	नटेरन	रायपुरचक	4.395		
विदिशा	नटेरन	रतनपुरचक	3.555		
विदिशा	नटेरन	दिघोनी	3.798		
योग . .			28.804		

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन, जिला विदिशा में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 46-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	नेवली	0.561	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	बलरामपुर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		बलरामपुर जाँ	5.835		
		निचरोन	3.692		
		फूफेर	1.950		
		जोगी किरौदा	4.352		
योग . .			16.360		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र. क्र. 2068-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक योजना का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	गंजबासौदा	करैया	7.032	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.	उकायला नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		उकायला	1.536		
		बीलाढाना	9.320		
		हरगनाखेड़ी	6.013		
		शिवरामपुर	0.100		
		रोजरू	0.340		
विदिशा	गंजबासौदा	चक्क अम्बानगर	1.810	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	बलरामपुर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		जरोद	1.940		
		पडरिया बासौदा	7.392		
		मालीखेड़ी	1.930		
योग . .			37.413		

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 24 अगस्त 2013

ईशु क्र. 251-रीडर-2013- प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	करनाली जागीर	21.400	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर.	गोपालपुरा तालाब सिंचाई योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

ईशु क्र. 252-रीडर-2013- प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	गोपालपुरा	18.420	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर.	गोपालपुरा तालाब सिंचाई योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 अगस्त 2013

क्र. क-भू-अर्जन-2013-687.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	केरवना	7.118	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, दमोह.	पंचमनगर परियोजना के अन्तर्गत बायी तट नहर से वितरिका व माइनर नहरों के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		गूगरा कलां	15.975		
		किरोला	2.359		
		सेमरा गुमान (सीगोन)	6.356		
		बम्होरी लड़ई	5.042		
		सीगोन	0.096		
		खड़ेरी	10.630		
		मोहली	4.613		
बरनों	2.490				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		सेहरा	8.067		
		निवोरा	4.961		
		पिपरिया चांद	1.836		
		तिरमुड़ा	4.901		
		धौराज	8.206		
		हिंगवानी	5.360		
		पिपरोधा	6.866		
		आलमपुर	5.637		
		पेमूखेड़ी	1.093		
		बरखेड़ा केशव	1.851		
		भियाना	2.970		
		अहरोरा	5.087		
		सकतपुर	3.444		
		कैथोरा	4.263		
		पथरिया	5.069		
		सैड़ारा	3.006		
		तिंदुआ	3.941		
		कुमरवारा	4.282		
		शेखपुरा	1.138		
		बटियागढ़ खास	8.364		
		बसिया	1.842		
		बरक्वाइन	0.848		
		बम्होरीभाट	7.557		
		रियाना	2.526		
		गढ़ोलाखोड़े	2.597		
		मालवारी	0.905		
		गढ़ोला बालजू	2.699		
		लुकान	2.582		
		बकान	0.197		
		नारायनपुर असली	0.510		
		खिरिया	0.558		
		योग . .	<u>167.842</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	(3)
	212/56/2	0.028	0.028
	77	0.012	0.012
रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2013	79	0.898	0.898
	81	0.744	0.453
प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	95	0.186	0.186
	74	1.177	0.080
	72/1	1.133	0.233
	80	0.304	0.304
	212/56/1	0.053	0.053
	55 में से		
	55/1	2.403	0.225
	55/2/1		
	55/2/2		
	93 में से		
(1) भूमि का वर्णन—	93/1	1.012	0.283
(क) जिला—रायसेन	93/2		
(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज	82/1, 82/2	0.182	0.113
(ग) नगर/ग्राम—विछुआ, कैकडा, ककरूआ, गुलाब	92/1, 92/2	0.392	0.040
(घ) लगभग क्षेत्रफल—हेक्टेयर.	83/1, 83/2	0.676	0.161
	60 में से		
खसरा नम्बर	60/1	1.349	0.404
कुल रकबा (हेक्टर में)	60/2		
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	56 में से		
(1)	56/1/1		
(2)	56/1/2	1.198	0.769
ग्राम—विछुआ	56/2		
65	0.093	0.093	
66	0.138	0.138	
63/2	1.214	0.858	
89	0.454	0.254	
90	1.206	0.206	
88	0.421	0.109	
64	0.482	0.201	
49	1.173	0.463	
50	0.603	0.603	
58	0.146	0.073	
59	0.789	0.097	
68	0.308	0.308	
69	0.433	0.433	
70	0.049	0.049	
71	0.061	0.061	
52	0.206	0.105	
			ग्राम-कैकडा
	65	0.486	0.072
	66/1	0.761	0.404
	67	0.745	0.360
	32/1	1.603	0.980
	30	0.890	0.550
	29/1/1	0.409	0.409
	31/1/1	0.486	0.486
	28	1.052	0.800
	27	2.816	2.816
	48	0.380	0.380
	46	0.356	0.090
	49, 50	2.918	2.918
	60	1.349	1.349
	47	0.412	0.412

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
43/1/1	1.619	0.162	24/2	0.235	0.235
69	1.481	1.327	10/1/2	0.308	0.308
66/2	0.262	0.262	16/2	0.809	0.809
71/1	0.304	0.089	17/2	1.011	1.011
72/3	0.474	0.474	20	0.518	0.518
73/1	0.405	0.405	90/19	0.202	0.202
74	0.198	0.198	10/2/2	0.073	0.073
71/2	0.405	0.080	13/1/1/1	0.085	0.085
72/4	0.875	0.875	13/1/2/1	0.603	0.603
72/1	0.101	0.080	19/2/2	0.141	0.141
81/3	1.540	0.121	10/2/4	0.069	0.069
71/3	0.474	0.121	13/1/2/2	0.404	0.404
72/5	0.583	0.583	13/1/3	0.970	0.970
72/2	0.162	0.130	19/2/1	0.141	0.141
73/2	0.162	0.162	10/2/3	0.069	0.069
81/2	0.988	0.080	12/2	0.041	0.041
3	0.563	0.563	21	0.825	0.825
4	3.573	3.573	22/1	0.414	0.414
5	0.457	0.457	24/1	0.279	0.279
6	2.306	2.306	23/1	2.531	2.531
7	0.704	0.704	53/1	0.166	0.166
8	1.104	1.104	54/1	1.323	1.323
55/4	0.081	0.081	55/1	0.081	0.081
86/55	0.077	0.077	53/2	0.162	0.162
56	0.223	0.223	54/2	1.323	1.323
53/4	0.162	0.162	55/2	0.081	0.081
54/4	1.327	1.327	53/3	0.162	0.162
13/2	0.405	0.405	54/3	1.327	1.327
13/1/1/2	0.405	0.405	55/3	0.081	0.081
13/1/4/2	0.041	0.041	58	0.190	0.190
18/2	0.162	0.162	59	0.117	0.117
10/2/1	0.073	0.073	61	1.904	1.904
11	0.117	0.117	62	0.028	0.028
13/1/4/1	0.453	0.453	63	0.316	0.316
12/1	0.377	0.377	37/2	1.214	0.610
10/1/1	0.809	0.809	64/1	1.214	0.214
14	0.053	0.053	64/2	1.178	0.490
15	1.169	1.169	31/1/2	1.307	1.307
16/1	0.680	0.680	91/32	0.170	0.170
17/1	1.405	1.405	26	2.152	2.152
18/1	0.154	0.154	25	0.134	0.134
19/1	0.183	0.183	52	0.109	0.109
22/2	0.405	0.405	33/3	0.409	0.190
23/2	2.023	2.023	31/2	0.392	0.392



(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—उर्वा-II	(घ) क्षेत्रफल—0.454 हेक्टेयर.	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
78	2.792	0.914					
77	0.817	0.817					
<b>ग्राम—ककरुआ गुलाब</b>							
2/1	2.023	2.023	(1)	(2)	(3)		
2/2	2.023	0.607	355 मिन-1	0.272	0.007		
2/3	2.023	2.023	356 मि-2क	0.209	0.007		
2/4	2.023	2.023	356 मिन-2ख	0.209	0.007		
44	2.411	0.405	357	0.658	0.085		
			538	0.157	0.157		
			690/1	0.084	0.010		
			690/2	0.105	0.010		
54/1	0.356	0.356	691/मिन-1	0.100	0.050		
54/2	0.227	0.227	691/मिन-2	0.099	0.049		
			706	0.146	0.051		
			707	0.084	0.021		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरी नहर निर्माण हेतु.			योग :			0.454	

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

प्र. क्र. 30-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनोर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. 5859-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—अनूपपुर  
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

- (ग) ग्राम—राखीताल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.234 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/1/1	0.057
75/1/2	0.050
75/2 क	0.024
78/2	0.131
81/1	0.106
81/2	0.099
80	0.049
108	0.057
109	0.035
110	0.227
205/1	0.105
211/2	0.070
206	0.062
208/1	0.047
210	0.081
216/1	0.071
216/2	0.070
237/1	0.125
238	0.484
248/2	0.074
268/2	0.013
249	0.065
180/2	0.118
250/1	0.029
253	0.064
252	0.102
182/2	0.085
182/1	0.085
180/3	0.056
180/1	0.037
179/2	0.077
179/1	0.033
177	0.072
174/1	0.066
138	0.096
244/1	0.059
273/2	0.061
270	0.072
268/1	0.020
योग . .	3.234

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—चुल्हामार जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**नंद कुमारम,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र.526-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—बिलखेड़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.396 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50/2	0.045
69	0.174
70/1	0.076
70/2	0.025
70/3	0.076
योग . .	0.396

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की खड़कवानी वितरण शाखा पर आफटेक आर.डी. 3988 मीटर पर प्रस्तावित बिलखेड़ माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.527-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—खड़केल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.672 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
156	0.672
योग . .	0.672

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की खड़कवानी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. 544-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—महेश्वर  
(ग) ग्राम—धरगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.051 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
446	0.051
योग . .	0.051

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 552-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—झिरन्या  
(ग) ग्राम—कुसुम्बिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.305 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1/2	0.344

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पुरगवां	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.223 हेक्टर एवं 2000 वर्गफीट.
1/1/3	0.271		
1/4	0.194		
1/3/3, 2/1	0.129	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर/वर्गफीट में)
5/2	0.069	(1)	(2)
5/3	0.081	8 में से	0.020 हे.
6/1	0.307	9/1 में से	0.012 हे.
10	0.097	9/2 में से	0.012 हे.
14/1	0.113	9/3, 9/4 में से	0.013 हे.
15/1	0.324	10/1, 10/2, 10/3 में से	0.021 हे.
15/2	0.170	22/2, 23, 24 में से	0.024 हे.
17		86/2 में से	0.010 हे.
22	1	83/8, 83/9 में से	2000 वर्गफुट डायवर्टेड.
23		50 में से	0.066 हे.
		27/1, 27/2 में से	0.015 हे.
		26/1, 28/1 में से	0.007 हे.
		26/2 में से	0.010 हे.
		83/4, 84, 85, 86/1 में से	0.010 हे.
		10/4 में से	0.003 हे.
		योग :	0.223 हेक्टर एवं 2000 वर्गफुट.
	योग . . .		
	<u>2.305</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करेलीनाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2012-13-गाडरवारा-पत्र क्रमांक 1214-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—गाडरवारा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरगवां से सिहोरा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष 2012-13-पत्र क्र. 1214-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—सिहोरा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.195 हेक्टर एवं 5960 वर्गफुट.			
खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर/वर्गफुट में)		
(1)	(2)		
234/1 में से	0.007 हे.	231/4	
234/2 में से	100 वर्गफुट डायवर्टेड	232/4	में से 0.005 हे.
234/4 में से	125 वर्गफुट डायवर्टेड	237/5	
	याने 0.001 हेक्टर.	246/4	
		231/5	
233/2 में से	0.005 हे.	232/5	में से 100 वर्गफुट डायवर्टेड
231/10	125 वर्गफुट डायवर्टेड	237/6	
232/10		246/5	
237/11		227/2 में से	
246/10		227/1 में से	
231/11	150 वर्गफुट डायवर्टेड	227/3 में से	0.012 हे.
232/11		228/1 में से	650 वर्गफुट डायवर्टेड
237/12		228/3 में से	0.007 हे.
246/11		209/13 में से	0.009 हे.
229/6 में से	225 वर्गफुट डायवर्टेड	209/14 में से	0.021 हे.
229/7 में से	100 वर्गफुट डायवर्टेड	209/15 में से	125 वर्गफुट डायवर्टेड
229/8 में से	85 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर.	209/17 में से	100 वर्गफुट डायवर्टेड
229/9 में से	150 वर्गफुट डायवर्टेड	231/6	100 वर्गफुट डायवर्टेड
229/10 में से	200 वर्गफुट डायवर्टेड	232/6	0.003 हे.
229/12 में से	100 वर्गफुट डायवर्टेड	237/7	0.006 हे.
208/2ठ में से	330 वर्गफुट डायवर्टेड	246/6	में से 375 वर्गफुट डायवर्टेड
208/2थ में से	110 वर्गफुट डायवर्टेड	231/8	
208/2प में से	55 वर्गफुट डायवर्टेड	232/8	
208/2ग में से	150 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर.	237/9	
209/7 में से	600 वर्गफुट डायवर्टेड	246/8	में से 100 वर्गफुट डायवर्टेड
209/10 में से	0.012 हे.	231/9	
231/3	0.009 हे.	232/9	
232/3		237/10	
237/4		246/9	
246/3		231/12	
231/1	0.002 हे.	232/12	में से 150 वर्गफुट डायवर्टेड
232/1		237/13	
237/2		246/12	
246/1		231/13	
231/2	430 वर्गफुट डायवर्टेड	232/13	में से 100 वर्गफुट डायवर्टेड
232/2		237/14	
237/3		246/13	
246/2		229/1 में से	
		229/2 में से	0.004 हे.
			0.011 हे.

(1)	(2)	
208/2घ में से	660 वर्गफुट डायवर्टेड	
208/2द में से	100 वर्गफुट याने	
	0.001 हेक्टर.	
208/2न में से	100 वर्गफुट याने	
	0.001 हेक्टर.	
208/2झ में से	200 वर्गफुट याने	
	0.002 हेक्टर.	
208/2ज में से	210 वर्गफुट याने	
	0.002 हेक्टर.	
208/2ट में से	100 वर्गफुट	
209/18 में से	0.003 हे.	
209/4	} में से कुल	0.067 हे.
225/1		
225/2		
229/3 में से	200 वर्गफुट डायवर्टेड	
229/4 में से	200 वर्गफुट डायवर्टेड	
229/5 में से	125 वर्गफुट डायवर्टेड	
208/2ण में से	100 वर्गफुट याने	
	0.001 हेक्टर.	
208/2ड में से	200 वर्गफुट डायवर्टेड	
208/2छ में से	200 वर्गफुट याने	
	0.002 हेक्टर.	
महायोग . .	0.195 हेक्टर एवं	
	5960 वर्गफुट	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरगवां से सिहोरा मार्ग निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुक्षी, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 616-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि (निजी स्वामित्व) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—कोलगॉव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
171/4	0.200
योग . .	0.200

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 617-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—निसरपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—544.35 वर्गमीटर.

सर्वे नंबर	रकबा
	(वर्गमीटर में)
(1)	(2)
173/1	19.00

(1)	(2)
190/1/1	252.50
143/1	49.00
143/1, 143/2, 143/3	38.00
181/1	185.85
योग . .	<u>544.35</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 603-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि (निजी स्वामित्व की) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—पेरखड़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—133.42 वर्गमीटर. कृषि भूमि

सर्वे नंबर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
186, 187	75.14
205/1/2	58.28
योग . .	<u>133.42</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में पहुंच मार्ग से प्रभावित होने से.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 10669-भू-अर्जन-2013—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—डही  
(ग) ग्राम—काकरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.655 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
45/1	0.229
45/2	0.229
45/3	0.230
49/2	0.089
105/1	0.476
105/2	0.477
105/3	0.476
121/1	0.089
121/2	0.090
121/3	0.090
121/4	0.090
121/5	0.090
योग . .	<u>2.655</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.”

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10674-भू-अर्जन-2013—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—डही  
(ग) ग्राम—मालपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.113 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
250/3	1.113
योग . .	1.113

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10679-भू-अर्जन-2013—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—डही  
(ग) ग्राम—नरझली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.565 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/1	0.433

(1) (2)

6/2	0.439
40/1/1	0.100
40/1/2	0.040
40/1/3	0.030
40/1/4	0.050
40/1/5	0.055
40/2	0.454
41/1	0.101
41/2	1.247
41/3/1	0.016
41/3/2	0.015
41/3/3	0.015
41/3/4	0.020
41/3/5	0.035
42/1	0.515
योग . .	3.565

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. 10889-भू-अर्जन-2013—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—डही  
(ग) ग्राम—चाकल्या  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.400 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.70



(1)	(2)	(1)	(2)
24	0.110	627	0.12
26/228	0.100	342	0.21
10/1	0.120	343	0.18
कुल योग . .	<u>0.400</u>	344	0.18
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.		351	0.15
		350/1	0.04
		350/2	0.04
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		320	2.02
		326	0.89
		327	0.52
		328	0.56
		329	0.79
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, <b>सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.</b>		330	2.03
		334	0.38
		332	0.51
		331	0.63
		710	0.20
		711	2.02
		716	0.07
		332/1	0.51
		752/1	1.07
		751	1.32
		755	0.46
		756	0.27
		758	0.37
		750	0.08
		कुल योग . .	<u>15.82</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र.क्र. 2087-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—चितरंगी  
(ग) पटवारी हल्का नं.—करौंदिया 07  
(घ) ग्राम का नाम—कमरौंहा  
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—15.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
630	0.10
629	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2089-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984

की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—चितरंगी  
(ग) पटवारी हल्का नं.—कुलकवार 05  
(घ) ग्राम का नाम—बगदरा  
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)
1806	0.06
1793	0.05
1874	0.24
1895	0.06
1896	0.03
1899	0.03
1900	0.03
1903/1	0.06
1904	0.06
1906	0.04
1927	0.10
1926	0.12
1922	0.01
1923	0.05
1924	0.08
2058	0.04
2059	0.20
2061	0.14
2063	0.04
2064	0.03
2097	0.03
2099	0.02
2101	0.02
2102	0.02
2103	0.02
2104	0.02
2105	0.05
2116	0.06
2117	0.02

(1)	(2)
2127	0.01
2126	0.12
2128	0.12
कुल योग . . . 1.98	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2091-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—चितरंगी  
(ग) पटवारी हल्का नं.—रेही 6  
(घ) ग्राम का नाम—रेही  
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—21.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
723	1.42
716	0.84
721/849	0.36
717	0.17
725	1.06
733	1.61
719/857	0.10
726	1.57
741	0.50
740	1.26

(1)	(2)
739	0.52
738	1.28
757	0.25
756	2.00
758	0.29
759	0.06
760	0.04
768	1.30
769/1	0.50
769/2	0.20
771	1.12
772	0.84
773	0.09
774	0.18
775	0.02
827	2.12
828	0.07
833	0.24
44	0.07
43	0.08
46	0.04
59	0.02
60	0.02
61	0.07
62	0.06
69	0.02
148	0.10
155	0.12
156	0.02
159	0.04
171	0.06
170	0.10
665	0.01
689	0.13
691	0.08
693	0.02
698	0.06
699	0.05
700	0.07
704	0.05
705	0.06
709	0.03
708	0.03
712	0.04

(1)	(2)
713	0.06
714	0.05
	कुल योग . . . 21.51
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, <b>एम. सेलवेन्द्रन</b> , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर  
(ख) तहसील—अलीराजपुर  
(ग) ग्राम/शहर—राजावाट  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.38 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
1263	1.04 में से	0.15
1264	0.35 में से	0.23
		योग . . . 0.38

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खण्डवा-बड़ौदा मार्ग-लाईन पर स्थित सुक्कड़ नदी पर पुल बनाने हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एन. पी. डहेरिया**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम—वीरसागर

(घ) क्षेत्रफल—12.046 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2	0.020
3	0.271
4	0.040
5	1.712
9	0.162
13	1.100
14	0.829
15	0.045
16	0.287
17	0.393
18	0.263
19, 19/2/2	0.142
20	0.158
23	0.013
24	0.013
27	0.184
29	0.262
47	0.445
48/1	0.201
48/2	0.066

(1)	(2)
48/3	0.067
49	0.235
51/2	0.272
51/3	0.272
52	0.239
53	0.129
54	0.341
55/1, 55/2	0.073
56/1, 56/2	0.039
33/1	0.026
33/2	0.037
32/1, 32/2	0.480
43	0.130
45/1	0.480
45/2	0.480
38/2	0.128
60	0.098
82	0.207
83	0.138
91	0.080
93	0.020
95	0.197
99	0.168
84	0.065
92	0.006
94	0.028
97	0.122
101	0.223
104	0.076
102/1	0.148
103/1	0.006
103/2	0.006
102/2	0.147
107	0.122
110/1, 110/2	0.138
111/1, 111/2	0.168
112	0.017
113/1	0.097
117/5	0.019
1117/13	0.008
100	0.024

(1)	(2)
287	0.002
38/1/1	0.078
कुल योग . .	<u>12.046</u>
(2) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर  
(ग) ग्राम—टेनीपुरा  
(घ) क्षेत्रफल—32.873 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/535	0.429
2/537	0.024
2/536	0.243
2/540/1	1.765
2/1/4/3	2.667
2/538	0.405
2/540/2/1	0.331
2/1/4/1	0.670
2/539	0.324
2/540/2/2	0.413
2/1/4/2	0.666
2/1/1	2.800
2/1/2	1.500
11	0.020
12	0.174
13	0.063

(1)	(2)
88/544	2.347
2/1/3	1.028
2/3/2	1.214
5	6.135
2/2	2.023
2/3	0.382
2/3/1	1.214
2/1/1क	0.404
2/1/2ख	1.214
2/1/4घ	0.202
2/1/3ग	0.405
7/2	0.109
7/3	0.405
14	0.127
110/1	0.180
110/2	0.648
112/2	2.347
कुल योग . .	<u>32.873</u>

(2) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर  
(ग) ग्राम—बनियानीपूर्वी  
(घ) क्षेत्रफल—24.327 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
640/1	1.490
640/1/ख	0.607
640/4	0.506

(1)	(2)	636	0.233
640/1क	0.203	639	0.117
648	0.890	642	0.007
649/2	0.809	648	0.252
651/1	3.519	कुल योग . . . 24.327	

651/2	1.214	(2) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
651/3	2.023	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
654/2/4	0.056	प्र. क्र. 4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
658/1, 658/2, 658/3	4.74	
659/2	1.151	
93	0.016	
107	0.017	
596	0.137	
597	0.241	
598	0.038	
607	0.078	
608	0.054	
609	0.073	
610	0.035	
619	0.193	

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
 (ख) तहसील—पृथ्वीपुर  
 (ग) ग्राम—पपावनीपूर्वी  
 (घ) क्षेत्रफल—32.873 हेक्टर.

		खसरा नं.		रकबा (हेक्टेयर में)	
		(1)	(2)	(1)	(2)
641/1क	0.203	853/1, 853/2, 853/3		0.120	
597	0.263	76		0.005	
607	0.057	399		0.124	
608	0.183	470		0.044	
609	0.037	474		0.019	
610	0.030	475		0.037	
614	0.248	476		0.015	
616	0.194	477		0.011	
617	0.134	484		0.007	
618	0.601	485		0.018	
619	1.817	611		0.065	
641/1ख	0.100	613		0.007	
642	0.754	614		0.008	
645/1, 645/2	0.811				
647	0.226				

(1)	(2)	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
617	0.082	अनुसूची	
623	0.014		
624	0.055	(1) भूमि का वर्णन—	
625	0.069	(क) जिला—टीकमगढ़	
628	0.024	(ख) तहसील—पृथ्वीपुर	
642	0.001	(ग) ग्राम—पपावनीखास	
643	0.038	(घ) क्षेत्रफल—1.731 हेक्टेयर.	
651	0.007	खसरा नं.	रकबा
652	0.035		(हेक्टेयर में)
852, 852/870	0.057	(1)	(2)
664	0.033	7	0.020
665	0.035	17	0.032
666	0.006	18	0.003
702	0.056	32	0.011
705	0.014	33	0.022
766	0.022	35	0.003
803	0.031	56/1, 56/2	0.104
805	0.024	57/1	0.005
807	0.024	71	0.011
809	0.054	72/1, 72/2	0.009
812	0.004	73	0.035
815	0.010	82	0.013
816	0.030	83	0.015
817	0.046	84	0.020
833	0.022	111	0.045
		112	0.044
योग . . .	32.873	113	0.035
(2) मडवाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.		114	0.008
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.		568	0.102
		569	0.040
		570	0.002
		573	0.087
		626/2	0.037
प्र. क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया		627	0.057
		639	0.064
		640	0.086
		641	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
646	0.074	8	0.049
647/1, 647/2	0.034	14	0.005
856	0.066	17	0.059
857	0.051	27	0.009
858	0.005	30	0.040
859	0.006	33	0.015
876	0.004	34	0.026
905	0.108	35	0.007
907	0.009	36	0.007
908	0.054	39	0.043
909	0.191	46	0.019
915	0.013	47	0.003
978/1, 978/2	0.033	48	0.006
574	0.009	49	0.047
625/1, 625/2	0.258	51	0.060
625/3		72	0.048
योग . . .	1.731	73	0.023
(2) मडवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.		75	0.023
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.		76	0.052
		77	0.012
		योग . . .	0.601
क्र. 6-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		(2) मडवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.	
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
		कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
		राजगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2013	
		क्र. 7751-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर  
(ग) ग्राम—सुनरईखास  
(घ) क्षेत्रफल—0.601 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.005
4	0.043

क्र. 7751-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक



प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—सारंगपुर

(ग) नगर/ग्राम—गुलावता, शेरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.496+2.000=11.496 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

#### ग्राम गुलावता

756	0.100
1015/1/2	0.150
1015/1/3	0.100
1020/1/1	0.150
1020/1/2	0.200
1026/1	0.250
1027/1	0.100
1028/1	0.148
1029	0.336
1031/1/2	0.170
1031/3	0.269
1032/4	0.080
1039/1371	0.155
1048/1/1/2	0.150
1048/1/1/3	0.286
1048/2	0.081
1048/3	0.100
1055/2	0.750
1056	0.325
1057	0.200
1061/1	0.200
1061/2	0.200
1094/1/9	0.150
1096/1	1.080
1096/2	0.500

(1)	(2)
1101/2	0.484
1102/2	0.022
1103/1	0.170
1103/2	0.040
1103/3	0.040
1103/4	0.100
1104/6	0.030
1133/1	0.100
1134/1	0.048
1147	0.164
1149/1	0.128
1149/3	0.050
1211/5	0.111
1211/6	0.111
1248/13	0.300
1248/1360	0.065
1249/2	0.128
1250	0.425
1251/1	0.150
1256/2	0.200
1261/1/1/1	0.200
1261/1/1/2	0.100
1265/7	0.100
	योग . . . 9.496
	<b>ग्राम शेरपुरा</b>
300/1	1.000
301	0.500
302	0.500
	योग . . . 2.000
	महायोग . . . 11.496

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण.—(1) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, राजगढ़.  
(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 5 अगस्त 2013

ई. क्र. 219-2013-प्र. क्र. 01 अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सुवासरा

(ग) ग्राम—तरावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.54 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
29/2	0.10
29/3	0.15
72	0.22
90	0.07
योग . .	<u>0.54</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अजयपुर तालाब हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ, जिला मन्दसौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 5741-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है, कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—घंसौर

(ग) ग्राम—गोरखपुर, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.66 हेक्टर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)	प्रभावित मकान, कुआ, वृक्ष, अन्य संपत्ति (3)
(1)	(2)	(3)
<b>अशासकीय भूमि</b>		
311/1	1.83	बबूल 1,
311/2	5.60	कुआ 1 पक्का
314	3.15	बैर 1, पलास 2,
276	2.08	कुआ पक्का 1, नहीं
कुल योग . .	<u>12.66</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—झाबुआ पॉवर लिमिटेड ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी में विद्युत् प्लांट स्थापित हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. B-624-एक-7-3-2012 (भाग एक).—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी-5564-एक-7-3-2011 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं सी-256-एक-7-3-2012 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए रक्षा बन्धन त्यौहार के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 20 अगस्त 2013 को पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर बुधवार दिनांक 21 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त अवकाश के एवज में दिनांक 20 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यदिवस रहेगा।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**वेद प्रकाश**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. C-5955-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 11 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5957-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 8 से 11 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-3503-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 12 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3508-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 3 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3510-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून के एवं पश्चात् में 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-3512-दो-2-18-2013.—श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. C-5988-दो-3-420-80-भाग दस.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक

25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

1. श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त : 8-3-1983  
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2013
3. नियुक्ति दिनांक 8-3-1983 से : 4 वर्ष  
दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : 26 वर्ष 4 माह  
दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु : 4×15=60 दिन  
समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु : 26=13×15=195  
समर्पण अवकाश की पात्रता (एक दिन.  
वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की : 255 दिन  
पात्रता.
8. घटाईये.-सेवा के दौरान लिया : 75  
गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 180 दिन  
समर्पण की पात्रता.

**नोट.**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं ज्ञापन क्रमांक-समसंख्यक-1734-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. C-5990-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 से 11 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5992-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 23 से 25 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-5994-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-5996-दो-2-23-2009.—डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 11 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5998-दो-2-20-2013.—श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 1 से 3 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6000-दो-2-21-2013.—श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 19 से 22 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 877-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :—

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुश्री रीतिका मिश्रा	सागर	सागर	सागर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
2	श्री प्रियंक दुबे	गुना	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
3	श्री गौरव अग्रवाल	मुरैना	सबलगढ़	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
4	श्री सुशील कुमार अग्रवाल	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
5	श्री संजीव कुमार पालीवाल	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
6	सुश्री सोनाली पस्तारिया	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
7	सुश्री चेतना पालीवाल	भिण्ड	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
8	श्री विनोद कुमार वर्मा	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
9	श्री विकास शुक्ला	दतिया	दतिया	दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
10	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	रायसेन	ग्वालियर	ग्वालियर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
11	श्री विजेन्द्र सिंह रावत	श्योपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
12	श्री सुमित शर्मा	शिवपुरी	टीकमगढ़	टीकमगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
13	श्री आशीष कुमार केशरवानी	जबलपुर	सीधी	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	श्री निमिश राजा	बैतूल	मुलताई	बैतूल	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में
15	श्री रोहित श्रीवास्तव	नरसिंहपुर	ग्वालियर	ग्वालियर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
16	श्री कमलेश साहू	होशंगाबाद	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
17	सुश्री सारिका बावरे	देवास	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
18	श्री आशुतोष यादव	शिवपुरी	ग्वालियर	ग्वालियर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
19	श्री नीरज पवैया	शाजापुर	अशोकनगर	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
20	श्री देवदत्त	सागर	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सागर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
21	सुश्री नमिता बोरासी	देवास	खण्डवा	खण्डवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
22	श्री मनीष अनुरागी	रतलाम	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
23	सुश्री प्रीती जैन	इंदौर	इंदौर	इंदौर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
24	श्री मोहम्मद असलम देहलवी	उज्जैन	महिदपुर	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
25	श्री राहुल वर्मा	इंदौर	इंदौर	इंदौर	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
26	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी	होशंगाबाद	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
27	श्री शिवराज सिंह गवली	उज्जैन	ग्वालियर	ग्वालियर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
28	श्री शिव कुमार डावर	भोपाल	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
29	सुश्री स्मृति सिंह	सतना	सतना	सतना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	श्री सुधीर सिंह निगवाल	उज्जैन	इंदौर	इंदौर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
31	श्री राजकुमार गोंड	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
32	श्री राकेश कुमार मरावी	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 881-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :-

#### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रोहित श्रीवास्तव	नरसिंहपुर	गाडरवारा	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

**टिप्पणी.**— आदेश क्रमांक 877-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी), दिनांक 30 जुलाई 2013 जहां तक इसका संबंध, सारणी के स्तम्भ (1) के, सरल क्रमांक-15 में उल्लेखित, श्री रोहित श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर का स्थानांतरण, नरसिंहपुर से ग्वालियर से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. 903-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक ) दिनांक 31 एवं 5 जुलाई 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

#### सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुनील चौधरी	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री निर्भय कुमार गरवा	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).



जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. 906-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :—

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री गौरव अग्रवाल	मुँरैना	अम्बाह	मुँरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

**टिप्पणी.**—आदेश क्रमांक 877-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी), दिनांक 30 जुलाई 2013 जहां तक इसका संबंध, सारणी के स्तम्भ (1) के, सरल क्रमांक-03 में उल्लेखित, श्री गौरव अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मुँरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुँरैना का स्थानांतरण, मुँरैना से सबलगढ़ जिला मुँरैना से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 915-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530—920—40,450—1080—49,090—1230—54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार	सैंधवा	सैंधवा	बड़वानी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में, दिनांक 28 अगस्त 2013 से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 8th August 2013

No. B-648-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhat Kumar Mishra, Presiding Officer of the court of Special Judge, SC/ST(POA) Act at Betul for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. B-646-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Sayeeda Bano Rehman, Presiding Officer of the court of VIIth ASJ, Bhopal for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

By Order of the High Court,  
BIPIN BIHARI SHUKLA, Registrar (DE).

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगाभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	कुड़ैला	192.396	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगाभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	सोरखी	962.10	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	बन्न (बरेला)	82.082	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	सरकना	418.440	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर, जिला-छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये  
आवश्यकता है:—

टीकमगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 8-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में  
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन  
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक  
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित  
किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये  
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—टीकमगढ़  
(ग) नगर/ग्राम—दरगुवाँ  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.582 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
458/1	0.096
458/2	0.232
458/3	0.076
460	0.081
465	0.016
466	0.081
योग . .	<u>0.582</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता  
है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),  
टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान  
संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में  
देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात  
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में  
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक  
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894  
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—टीकमगढ़  
(ग) नगर/ग्राम—सुजारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—207.273 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
481	0.162
482	0.109
483	0.057
480	0.093
469	0.040
470	0.142
471	0.489
472	0.024
473	0.016
474	0.057
466	0.425
407	0.125
413	3.277
414	0.020
415	0.073
416	0.032
417	0.125
418	0.025
420	0.190
421	0.121
423	0.057
424	0.117
425	0.020
426	0.028
427	0.012
428	0.154
429	0.077
430	0.049
431	0.040
432	0.012
433	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
434	0.020	360	0.142
435	0.053	361	0.077
436	0.064	362	0.097
437	0.085	362/1	0.097
438	0.061	363	0.121
439	0.134	364	0.016
440	0.105	365	0.125
440/1185	0.045	366	0.077
442	0.227	367	0.340
443	0.170	368	0.376
444	0.085	369	1.620
445	0.255	370	0.121
446	0.016	371	0.024
447	0.045	372	0.745
448	0.668	373	0.065
449	1.157	521	0.874
450	0.388	522	0.097
451	0.401	523	0.348
452	0.328	524	0.040
453	0.154	525	0.146
455	0.182	526	0.073
456	0.121	527	0.166
457	-	528	0.101
459	0.332	529	0.365
461	0.308	530	0.077
462	0.093	531	0.174
463	0.214	532	0.174
465	0.316	533	0.259
388	0.947	534	0.388
389	0.045	535	0.672
405	0.132	536	0.466
406	0.061	538	0.729
408	0.053	252	4.517
411	1.197	253	1.615
412	0.049	254	3.261
385	0.062	256	0.579
355	0.129	257	0.530
356	0.049	257/अ	0.854
357	0.129	258/2	0.101
358	0.340	259	0.332
359	1.566	260	0.781
359/1186	0.539	261	0.061
		262	1.513

(1)	(2)	(1)	(2)
263	0.053	313	0.057
264	0.793	314	0.036
265	0.530	315	0.198
266	0.579	317	0.239
267	3.277	317/अ	0.312
268/1	0.759	333	0.045
268/2	0.150	334	0.700
269	0.975	334/1223	0.243
270	0.433	335	1.003
271/1	0.459	336	0.821
271/2	0.458	337	0.324
272/1	0.457	338	0.182
272/2	0.457	339	0.045
273/1	0.269	340	0.032
273/2	0.270	341	0.243
274/1	0.342	342	0.417
274/2	0.342	343	0.093
275/1	0.130	344	0.514
275/2	0.136	346	0.093
276/1	0.338	347	0.117
276/2	0.338	348	0.648
277/1	0.209	349	0.271
277/2	0.208	350	0.125
278/1	0.041	351	0.328
278/2	0.056	352	0.360
279/1	0.041	353	0.219
279/2	0.040	354	0.142
280/1	0.143	539/1	0.202
280/2	0.144	541	0.486
281/1	0.251	542	0.348
181/2	0.809	543	0.421
282	0.680	475	0.073
283	0.433	476	0.081
284	0.134	477	0.040
285	0.243	200	1.485
287	0.356	201	0.340
288	0.769	202	0.765
289	0.158	203	0.619
291	1.214	204	0.729
292	1.364	206	0.166
293	1.538	207	0.178
294	0.971	208	0.214

(1)	(2)	(1)	(2)
209	0.036	187	0.906
210	0.180	188	0.016
211	0.231	189	0.012
212	0.220	190	0.057
213	0.291	191	0.069
214	0.101	192	0.202
215	0.235	193/1	0.101
216	0.854	193/2	0.242
217	0.239	194	0.255
218	0.036	195	0.073
219	0.178	196	0.081
220	0.178	197	0.170
221	0.174	198	0.299
222	0.202	199	0.121
223	0.178	391	0.093
376	0.340	392	0.275
377	0.214	393	0.765
378	0.032	400	0.016
379	0.194	401	0.016
379/1183	0.202	402	0.146
380	0.243	403	0.024
381	0.206	160	0.680
382	0.421	163/अ	0.332
383	0.259	163/9538	1.408
384	0.182	165	0.413
386	0.113	168	0.522
387	0.186	169/1	0.506
174	0.405	169/2	0.507
174/क	0.611	169/3	0.506
175	1.477	196/4	0.506
175/अ	0.757	169/5	0.506
175/9537	0.567	172	-
176	0.571	173/2अ	0.405
177	0.154	173/1अ	0.809
178	0.158	173/अ 2	0.081
179	0.125	173/अ 4	0.208
180	0.150	173/अ 6	0.494
181	0.291	173/9537/3	0.077
182	0.271	224	1.339
183	0.721	225	1.890
184	0.328	226	0.093
186	0.583	227	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
228	0.178	12/4	0.858
229	0.097	12/5	1.263
230	0.085	13	0.093
231	0.089	13/1	0.267
232	0.110	14	0.340
233	0.040	14/1	0.227
234	0.024	15	0.101
235	0.150	16	0.652
236	0.146	17	0.251
237	0.134	20/1	0.765
238	0.138	21	0.101
239	0.146	21/1	2.310
240	0.109	21/2	0.199
241	0.109	23/1	2.310
242	0.113	23/2	0.681
243	0.121	24/1	1.330
244	0.237	24/2	0.750
245	0.567	25/1	1.561
246	1.457	25/2	0.041
247	0.101	26	0.384
248	0.291	27	0.397
249	0.109	28	1.331
250	0.158	29	0.940
1/1	0.405	30	1.040
1/2	0.210	31	2.227
2	0.057	32	0.466
4	0.388	33	0.421
5	0.429	34	0.146
5/1	0.376	35	0.478
5/2	0.344	36	0.551
6/1	0.785	37/1	0.065
6/2	0.709	37/2	0.065
6/3	1.782	37/3	0.065
8	1.011	37/4	0.064
9/1	0.101	37/5	0.065
9/2	1.619	38/1	0.044
9/3	1.619	38/2	0.044
9/4	1.619	38/3	0.044
9/5	0.809	38/4	0.043
12/1	1.343	38/5	0.044
12/2	1.068	39	0.045
12/3	0.983	40	0.652
		41	0.971



(1)	(2)	(1)	(2)
42	0.186	77/1	0.628
43	0.267	77/2	0.624
44	0.182	78	0.757
45	0.154	79/1	0.405
46	0.170	79/2	0.409
47	0.328	80	0.401
48	0.129	81	0.312
49	0.134	82/1	0.413
50	0.093	82/2	2.477
51	0.567	82/3	0.413
52	0.230	83	0.530
53	0.892	83/अ	0.849
54	0.425	84	0.295
55	0.522	85	0.295
57	0.421	86	0.150
58	0.700	87	0.458
60/1/2	0.129	88	0.271
60/3	1.619	89	0.239
60/4	1.214	90	0.441
60/5	1.032	91	0.320
60/6	0.405	92	0.364
60/7	1.214	93	0.061
61	0.918	94	0.372
62	0.943	106	0.560
63	1.501	109	0.308
64	0.397	110	0.441
65/अ	0.551	111	0.291
65/9537	0.368	112	0.210
66	0.648	113	0.202
67/1/1	0.292	114	0.291
67/1/2	0.292	116	0.551
67/1/3	0.292	117	1.509
67/1/4	0.292	118	1.380
67/1/5	0.293	119/2	1.139
67/अ	1.461	121	0.567
68	0.700	124	0.563
69	0.267	125	0.086
70	1.271	126	0.686
71	0.129	127	0.170
73	0.113	128/2/3	1.000
74	0.146	130/1	0.563
75	0.162	130/2	0.551
76	0.910		

(1)	(2)
131	0.097
132	0.356
133	0.040
134	0.142
135	0.142
136	0.024
137	0.409
138	0.393
139/1	0.497
139/2	0.405
141	0.049
142	1.639
145/1	0.559
145/2	0.602
146	0.287
147	0.271
148	0.312
149	0.551
149/अ	0.251
150	0.113
151	0.210
152	0.348
153	0.053
154	0.267
155	0.914
156	1.388
157	0.530
158/1	1.200
158/अ	0.749
158/9537	0.636
394	0.291
397	0.186
398	0.344
399	0.753
128/211	1.000
128/212	1.000

योग . . . 207.273

प्र. क्र. 10-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
 (ख) तहसील—टीकमगढ़  
 (ग) नगर/ग्राम—डोंगरपुर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—221.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
14/1	1.000
14/2	2.000
14/441	0.178
14/442	0.125
25	0.061
26/1	0.040
27/1	0.466
27/2	0.441
28/1	0.190
28/2	0.065
29	0.793
30	0.045
31	0.081
32	0.125
33	0.486
34	0.417
35	0.202
36	0.154
37	0.858
38	0.174
39	0.405
58/416	0.061
87/1	0.648
89/2	0.530

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
89	1.056	152/2	0.234
104/3	4.884	154	1.202
107/1	1.780	155	0.150
107/2	1.206	156	0.316
107/3	0.453	157	0.024
107/4	1.198	158	0.016
107/5	5.147	159	0.372
107/6	0.339	160	0.295
107/7	1.234	161	0.157
107/8	1.334	162	2.051
107/9	1.305	163	0.109
110/1	0.845	164	0.057
110/3	0.498	165	0.053
111/1	1.772	166	0.166
111/2	2.922	167	0.866
112/1	0.659	168	0.141
112/2	1.215	169	0.065
113/1	2.816	170	0.351
125/1	0.028	187/1	1.267
125/2	0.016	187/422	0.077
126	0.218	188	1.708
127	0.020	189	0.753
128	1.416	190	0.328
129	0.137	191	0.016
130	0.149	192	0.506
131	0.744	193	1.529
132	0.036	194	0.291
133	0.145	194/423	0.040
134	0.590	195	0.312
135	0.655	196	0.016
136	0.065	196/424	0.057
137	1.514	197	0.227
138	0.177	198	0.178
139	1.813	199	0.028
140	4.695	200	0.295
142/1	0.854	201	0.142
142/2	0.057	202	0.157
143/1	0.045	203	0.748
143/2	0.336	204	0.036
151/1	0.036	40	0.069
151/3	0.320	41	0.291
152/1	0.486	42	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
43	0.360	119/2	0.304
44	0.089	120	0.150
45	0.454	121/1	0.361
46	0.032	121/2	0.016
47	0.232	122/1	0.105
48	0.024	122/2	0.376
49	0.178	123/1	0.032
50	0.660	123/2	2.084
51	0.121	124/1	0.448
52	0.028	124/2	0.943
53	0.008	124/3	0.178
54	0.494	254	0.028
55	0.020	255	1.308
56	0.364	256	0.105
57	0.393	257	0.040
58	0.372	258	0.028
222/2	0.809	259	0.650
222/3	0.809	260	0.040
223	1.825	261	0.335
223/440	0.490	262	0.320
224	0.145	263	0.243
225	0.413	264	0.016
226/1	0.020	264/434	0.057
226/2	0.020	264/435	0.053
227	0.210	265	0.227
229	0.210	266	0.138
230	0.247	267	0.206
230/427	0.170	268	0.591
230/428	0.028	269	0.073
231	0.328	144/1	0.490
232/1	0.351	144/2	0.020
232/2	0.806	145/2	0.181
233	0.028	145/3	0.882
233/429	0.053	146/1	1.092
113/2	0.157	146/2	0.105
114/4	1.700	146/3	0.113
117/1	0.299	146/4	0.380
117/2	0.182	147/1	0.061
117/3	0.631	147/2	0.239
118/1	0.886	247/3	0.267
118/2	0.870	148/1	0.121
119/1	0.295	148/2	0.202

(1)	(2)	(1)	(2)
149/1/2	0.024	186	0.510
149/2	0.040	344	0.571
149/3	0.752	345/2	0.129
149/4	0.309	345/3	0.144
150/1	0.278	345/31	0.271
151/2	0.283	346/1	0.113
299	0.255	346/2	0.077
300	0.149	347/1	0.360
301	0.517	347/2	0.173
302	0.829	348/1	1.607
304	1.089	348/2	0.287
305	2.860	349	0.688
306	1.619	350	0.385
307	0.319	351	0.243
310	0.474	353/1	0.210
311	1.056	353/2	0.049
312	0.291	354/1	0.012
313	0.170	354/2	0.432
314	0.202	355	0.150
315	0.388	205	0.040
316	0.185	205/425	0.044
317	0.218	206	0.804
318	1.238	207	0.340
319	2.307	208	0.189
171	0.024	209	0.065
171/419	0.036	210	0.607
171/420	0.045	211	0.020
172	0.053	212	0.351
173	0.409	213	0.020
174	0.733	213/426	0.040
175	0.238	214	0.619
176	0.251	215	0.454
177	0.036	216	0.179
178	0.689	216/2	0.360
179	0.012	217	1.724
179/421	0.036	218	1.862
180	0.179	220	0.134
181	0.271	22/1	1.609
182	0.012	367/2	0.057
183	0.458	368	0.117
184	0.190	369/1	0.081
185	0.093	369/2	0.335

(1)	(2)	(1)	(2)
370/1	0.729	279	0.032
371	1.793	280	0.316
372/1	0.230	281	0.113
373/1	0.170	282	0.429
373/2	0.745	283	0.028
374	0.627	284	0.275
374/438	0.405	285	0.024
375	0.028	286	0.429
376/1	0.635	287	0.619
376/2	0.607	288	0.097
377/1	0.400	290/1	0.320
377/1/2	0.400	290/2	0.809
377/1/3	0.379	290/3	1.214
378/1	0.130	296	0.679
234	0.380	297	0.133
235	0.178	298	0.453
236	0.870	320	0.704
236/430	0.178	322	1.259
236/431	0.149	323	1.335
237	0.223	325	0.865
238	0.223	326	1.890
239	0.380	327	1.404
240	0.142	328	0.385
241	0.134	329	0.279
242	0.259	331	0.474
243	0.016	335	0.291
243/432	0.045	336	0.295
244	0.239	337	0.397
245	0.809	338	1.323
247	0.445	339/1	1.619
249	0.450	339/2	0.809
250	0.024	339/3	1.606
250/433	0.028	340	0.235
251	0.134	341	0.178
252	0.065	342/2	0.506
253	0.135	342/3	0.239
270	0.110	343/1	0.181
271	0.821	343/2	0.785
272	0.182	356/1	0.036
283	0.061	356/2	0.077
275	0.069	356/3	0.145
278	0.458	356/4	1.473

(1)	(2)
357/2	1.181
358/1	0.073
358/2	1.019
358/3	0.332
359/1	0.097
359/2	1.015
360	0.466
361	1.141
362	0.437
363/1	2.023
364/1	0.069
364/3	0.174
365/1	0.012
365/2	0.016
366/1	0.121
366/2	1.177
366/3	0.004
367/1	0.506
378/2	1.084
379/2	0.304
380/1	0.186
380/2	0.125
381	1.193
382/1	0.226
382/2	0.482
382/3	0.632
383/1	0.449
383/2	0.077
384/1	1.035
384/2	0.016
384/3	0.701
385/1	0.616
385/2	0.599
386/1	0.073

योग . . . 221.756

प्र. क्र. 11-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—बुढ़ेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—160.469 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
	2022	0.344
	2024	0.146
	2025	0.093
	2026	0.024
	2027	0.045
	2038/1	1
	2040	0.405
	2041/1	1.2
	2075	0.17
	2076	0.445
	2077/1	0.012
	2078/1	0.411
	2079/1	0.52
	2080/1	0.584
	2081/1	0.698
	2082/1	0.012
	2083/1	0.241
	2084/1	0.178
	2085/1	0.1213
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.	2086/1	0.275
	2087/1	0.196
	2088/1	0.777
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	2088/2	0.036
	2088/2/1	0.036
	2089/1/1	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
2089/2	0.032	2179	0.085
2090/1	0.049	2180	0.32
2090/2/1	0.162	2181	0.036
2090/2/2	0.163	2184	0.012
2091/1	0.028	2185	0.243
2092/1	0.085	2185/1	0.112
2093/1	0.049	2186	0.206
2093/1/1	0.012	2186/1	0.103
2093/2/1	0.147	2187	0.057
2094/1	0.138	2189	0.04
2094/1/1	0.034	2189/1	0.015
2096	0.287	2190	0.012
2096/1	0.062	2191	0.202
2097	0.202	2639	0.162
2097/1	0.057	2640	0.142
2152	0.356	2641	0.125
2153	0.065	2642/1	0.13
2154	0.388	2642/2	0.129
2155	0.057	2643	0.077
2155/1	0.348	2673	0.089
2156	0.583	2674	0.146
2157	0.186	2675	0.036
2158	0.057	2676	0.279
2159	0.227	2677	0.397
2160	0.089	2684	0.002
2161	0.02	2685	0.105
2162	0.093	2686	0.316
2163	0.36	2687	0.267
2164	0.134	2688	0.028
2165	0.202	2689	0.745
2167	0.049	2690	0.065
2168	0.028	2691	0.04
2169	0.085	2692	1.568
2170	0.073	2693	0.129
2171	0.024	2694	0.065
2172	0.101	2695	0.036
2173	0.045	2696	0.21
2174	0.053	2697	0.36
2175	0.028	2698	0.376
2176	0.219	2705/1	0.061
2177	0.154	2705/2	2.023
2178	0.38	2706/1	0.073



(1)	(2)	(1)	(2)
2706/2	0.02	2753/3	0.085
2711	0.51	2754	0.04
2713	0.32	2755	0.263
2714	0.049	2756/1	0.571
2715	0.028	2757/1	3.532
2716	0.024	2757/2	2.197
2717	0.117	2757/3	0.291
2718	0.134	2757/4/मिन-2	2.023
2719	0.16	2757/5	0.271
2720	0.045	2757/6	0.4
2721	0.174	2760	1.197
2722	0.073	2761	0.506
2723	0.032	2761/1	0.506
2724	0.097	2761/3	0.206
2725	0.154	2762/1	0.299
2726	0.138	2762/2	0.255
2727	0.024	2763/1	0.113
2728	0.656	2763/2	0.036
2729	0.397	2763/3	0.247
2730	1.558	2764/2	0.016
2731	1.295	2765/1	0.405
2732	0.692	2765/2	0.053
2734/1	0.162	2765/3	0.105
2734/2	0.624	2767/1	0.097
2735	1.157	2767/2	0.239
2737	0.097	2768	0.947
2738	0.769	2769	0.142
2740/1	1.137	2770	0.983
2740/1/मिन-1	0.704	2771	0.717
2741/1	0.356	2776/2	1.23
2741/2	0.69	2776/3	0.04
2742/1/मिन-1	0.608	2777/2	0.073
2742/1/मिन-2	0.392	2779/2	0.17
2744	0.154	2780/1	0.223
2744/2	0.134	2780/2	0.417
2745	0.38	2781/2	0.121
2747	0.065	2781/3	0.571
2749	0.101	2781/4	0.008
2750/1	0.4	2782/1	1.801
2751/2	0.291	2782/2	0.632
2752	0.304	2782/3	0.073
2753/2	0.04	2783/2	0.413

(1)	(2)	(1)	(2)
2784/2	0.494	2804/1	0.283
2784/3	0.466	2804/2	0.097
2785/2	0.105	2805/1	0.148
2786/2	0.049	2805/2	0.065
2786/4	0.397	2806	0.89
2786/5	3.683	2807/1	0.016
2786/6	0.664	2807/2	0.304
2786/8	0.036	2808/1	0.983
2787/3	0.68	2808/2	0.016
2787/4	0.101	2808/3	0.506
2788/3	0.049	2808/4	0.012
2788/4	0.065	2809/1	0.534
2789/1	0.032	2809/2	0.008
2789/2	1.518	2810/1	0.101
2790/1	0.045	2810/2	0.376
2790/2	0.627	2810/3	0.134
2790/3	0.53	2810/4	0.028
2791/1	0.466	2811/1	0.183
2791/2	0.537	2811/2	0.17
2791/3	0.068	2811/3	0.032
2792	0.016	2811/4	0.069
2793/1	0.25	2812/1	0.065
2793/2	0.202	2812/3	0.008
2793/3	0.427	2812/3/2	0.01
2794	0.3	2812/4	0.267
2794/3	0.506	2814/2	0.178
2795/1	1.352	2914/3	0.081
2795/2	0.073	2814/4	0.607
2796/1	0.093	2814/4/2	0.202
2796/2	0.616	2814/5	0.267
2797/1	0.12	2815/1	0.024
2798/1	0.17	2815/2	0.109
2798/3	0.239	2815/2/2	0.036
2799/2	0.591	2817/2	0.543
2801/1	0.117	2917/3	0.008
2801/2	0.121	2817/3/2	0.003
2802	0.008	2818/1	0.433
2802/2	0.174	2818/2	0.36
2802/3	0.413	2819	0.259
2803/1	0.421	2820	0.259
2803/2	0.036	2821/1	0.283
2803/3	0.043	2821/2	0.285

(1)	(2)	(1)	(2)
2822/2	0.833	2849/1	0.036
2822/3	0.17	2850/1	0.655
2822/4	0.559	2851	0.129
2823/1	0.008	2852	0.934
2823/2	0.008	2853	0.04
2824	0.21	2854	0.239
2825/2	0.364	2855	0.466
2825/3/क	0.046	2856	0.024
2825/3/ख	0.047	2857	0.413
2826/1/क	0.166	2858	0.251
2826/1/ख	0.387	2859	0.825
2826/1/ग	0.042	2860	0.271
2827/2	0.506	2861	0.069
2827/3	0.085	2862	0.121
2828/1	0.251	2863	0.376
2828/2/क	0.036	2864	0.364
2828/2/ख	0.025	2865	0.17
2829	0.028	2867	0.206
2830/1	0.239	2868	0.016
2830/2	0.004	2869	0.121
2831/1	0.251	2870	0.081
2831/2	0.607	2871	0.502
2831/3	0.324	2872/1	0.127
2832	2.652	2873	0.069
2833	0.21	2874	0.032
2834	0.279	2875	0.028
2835	0.332	2876	0.611
2836/1	0.234	2877	0.571
2836/1/2	0.087	2878	0.882
2836/2	0.777	2879	0.223
2836/3	0.441	2880	0.045
2836/4	0.032	2881	0.219
2838/1	1.271	2882	0.121
2838/2	0.065	2883	0.38
2840/1	0.129	2884	0.219
2840/2	0.146	2885	0.073
2840/3	0.999	2886	0.368
2841/1	0.401	2887/1	0.68
2842	0.166	2887/2	0.053
2845/1	0.045	2889/1	0.138
2847/2	0.047	2889/2	0.008
2848	0.401	2890/2	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
2890/3	0.008	2938	0.154
2891/2	0.016	2939	0.028
2895/1	0.907	2940	0.097
2895/2	1.145	2941	0.032
2896/2	0.279	2942	0.04
2896/3	0.154	2943	0.299
2897/2	0.356	2944	0.016
2898/2	0.4	2945	0.17
2898/3	0.004	2946	0.146
2898/4	0.874	2947	0.077
2899/1	0.101	2948	0.89
2899/2	0.121	2949	0.045
2900/1	0.073	2950	0.454
2900/2	0.47	2950/3164	0.061
2901/3	0.219	2951	0.304
2902	0.32	2951/3012	0.825
2903	0.454	2952	0.367
2904	0.069	2953	0.113
2905	0.417	2954	0.097
2906	0.178	2955	0.534
2907/1	0.206	2956	0.243
2907/2	1.19	2957	0.466
2907/3	0.684	2958	0.073
2907/4	0.251	2959	0.032
2908/3	0.105	2960	0.117
2920	0.202	2961	0.227
2923	0.17	2962	0.077
2924	0.526	2963	0.19
2925	0.198	2964	0.247
2926	0.04	2965	0.154
2927	0.036	2966	0.125
2928	0.109	2967/1	0.154
2929	0.045	2967/2	0.551
2930	0.841	2968	0.069
2932	0.494	2969	0.053
2933	0.425	2970	0.061
2934	0.316	2971	0.704
2935	0.324	2972	0.741
2936	0.04	2973	0.295
2937	0.178	2974	0.125



प्र.क्र. 12-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—डिकोली चक नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल—127.944 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2084

0.057

2086

0.045

2087

0.158

2088

0.194

2089

0.020

2090

0.020

2091

0.024

2092

0.162

2122/2

0.125

2122/3

0.627

2123

0.433

2124

0.134

2125

0.445

2126

0.174

2127

0.417

2128

0.332

2140

0.129

2141

0.097

2142

0.097

2143

0.049

2144

0.312

2145

0.146

2146

0.053

2147

0.324

2159

0.146

(1)

(2)

2161

0.271

2162/1

0.384

2162/2

0.275

2162/3

0.069

2163/1

0.948

2163/2

0.073

2164/1

0.368

2172/1

0.012

2172/2

1.518

2173

0.575

2174/1

0.085

2174/2

1.117

2174/3

0.421

2175/1

0.008

2175/2

0.040

2093

0.166

2094

0.150

2095

0.150

2096

0.178

2097

0.245

2098

0.368

2099

0.040

2100/1

0.178

2100/2

0.421

2101

0.231

2122/1

0.129

2179/2

0.445

2181/1

0.660

2181/2

0.028

2182/1

0.825

2129

0.089

2130

0.093

2131

0.040

2132

0.178

2133

0.028

2134

0.316

2135

0.040

2136

0.113

2137

0.142

2138

0.053

2139

0.121

2516/1

0.154

2516/2

0.227

(1)	(2)	(1)	(2)
2517/1	0.528	2219	0.049
2517/2	0.529	2220	0.069
2148	0.028	2221	0.227
2149	0.073	2222	0.324
2150	0.065	2182/2	0.057
2151	0.077	2183	0.971
2152	0.263	2523/1	1.055
2153	0.384	2524/1	0.040
2154	0.154	2524/2	0.267
2155	0.109	2525/1	0.316
2156	0.036	2525/2	0.032
2157	0.806	2526/1	0.150
2158	0.109	2526/2	0.624
2506	1.125	2526/3	0.024
2507	0.032	2527	1.230
2510	0.049	2528/1	0.008
2511	0.020	2528/2	0.029
2164/2	0.142	2529/1	0.809
2164/3	0.181	2529/2	1.923
2164/4	0.016	2517/3	0.529
2165/1	0.439	2518	0.185
2165/2	0.020	2519/1	0.105
2166/1	0.004	2519/2	1.142
2167/1	0.105	2520/1	0.101
2167/2	0.295	2520/2	0.040
2168	0.793	2521/1	0.073
2170	0.704	2521/2	0.411
2171	0.640	2521/3	0.085
2199	0.142	2522/1	0.279
2200/1	0.097	2522/2	0.190
2200/2	0.049	2522/3	0.340
2201	0.040	2501/2	1.346
2176/1	0.138	2502	0.672
2176/2	0.709	2503/1	0.810
2176/3	0.004	2512	0.478
2176/4	0.182	2513	0.765
2177/1	0.142	2514	0.065
2177/2	0.587	2515	0.510
2177/3	0.065	2189/1	0.206
2177/4	0.020	2189/2	0.206
2178/1	0.178	2190	0.322
2178/2	0.462	2191/1	0.134
2179/1	0.186	2191/2	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
2192	0.109	2248	0.077
2193	0.247	2250	0.138
2194	0.247	2251	0.190
2195	0.311	2252	0.360
2196	0.121	2184	1.327
2197/1	0.231	2185	0.933
2202	0.368	2186/1	0.279
2203	0.413	2187	0.040
2204	0.364	2503/2	0.870
2205/1	0.192	2505/1	0.151
2205/2	0.040	2505/2	0.300
2206	0.024	2433/1	0.833
2207	0.326	2433/2	0.049
2208	0.101	2434	0.134
2209	0.129	2435/1	0.085
2210	0.097	2435/2	0.962
2211	0.036	1517/1	0.053
2212	0.328	1517/2	0.787
2213	0.040	1516	0.101
2214	0.639	1515	1.072
2215	0.445	1518	0.259
2223	0.016	1519	0.421
2224	0.713	1520	0.575
2225	0.339	2197/2	0.069
2226/2	0.024	2198/1	0.045
2227	0.109	2198/2	0.020
2228	0.316	1524/2	0.220
2229	0.217	1627/1	0.421
2230	0.081	1627/2	0.057
2231	0.032	1521/2606	3.294
2232	0.040	1521	3.290
2235	0.081	1514	0.030
2236	0.093	1513	0.454
2237	0.069	1512	0.393
2238	0.057	1511	0.462
2239	0.113	1510	1.048
2529/3	1.028	1509	0.121
2529/4	0.073	1508	1.000
2531	0.421	2216	0.202
2244	0.113	2217	0.462
2245	0.125	2218	0.162
2246	0.081	1553/2	0.190
2247	0.117	1548	0.129



(1)	(2)	(1)	(2)
1554/1	0.397	1546/2	1.566
1554/2	0.898	1547/1	0.173
1555/1	0.656	1547/2	0.405
1555/2	0.065	1543/1	0.214
1556/1	0.125	1522	0.348
1556/2	0.085	1523/1	1.206
1558/1	0.700	1523/2	0.012
1558/2	0.178	1524/1	0.138
1558/3	0.117	1650/2	0.097
1561/1	0.198	1651/1	0.486
2241	0.162	1651/2	0.448
2242	0.085	1651/3	0.146
2243	0.206	1651/4	0.808
1606	0.049	1507	0.344
1607	0.178	1560/2607	1.870
1608	0.279	1652	1.643
1609	0.239	1603	0.433
2482/1	1.113	1654/1	0.024
2481	0.045	1654/3	0.291
1602	0.498	1550/1	1.631
1603	0.202	1551/1	0.202
1610	0.356	1552	1.372
1611	0.239	1553/1	0.579
1612	0.648	1576/1	0.061
1613	0.287	1577/1	0.028
2423/1	0.316	1577/2	0.413
2424/1	0.024	1577/3	0.036
2425	0.454	1577/4	0.567
2426/1	0.008	1561/2	0.435
2426/2	1.557	1562/2	0.267
2427/2	0.810	1563/1	0.036
2428	0.474	1563/2	0.267
2430	0.356	1563/3	0.380
2431/1	0.085	1564	0.501
2431/2	0.388	1570/1	0.555
1634	0.364	1571	0.829
1635	0.231	1604	0.210
1636	0.032	1605	0.101
1631/1	0.085	1572	0.178
1631/2	0.142	1573	1.167
1545/1	0.016	1574	0.081
1546/1	0.393	1575	0.170

(1)	(2)	(1)	(2)
1618/2	0.186	1578/3	0.134
1614	0.498	1578/4	0.805
1615/1	0.008	1579/1	0.057
1615/2	0.235	1579/2	0.227
1615/3	0.116	1580/1	0.113
1630	0.551	1580/2	0.360
1629	0.053	1582	0.372
1628	0.291	1583	0.324
1627	0.146	1648	0.146
1626	0.158	1650/1	0.121
1633	0.121	1619/1	0.178
1624/1	0.003	1619/2	0.239
1624/1	0.239	1620/1	0.324
1625	0.174	1621/1	0.656
2062	0.283	1621/2	0.004
2063	0.036	1623/1	0.121
1632/2	0.061	1623/2	0.150
1642/1	0.368	1617/1	0.077
1642/2	0.012	1617/2	0.121
1643/3	0.299	1617/3	0.024
1643/2/1	1.024	1618/1	0.178
1644	0.134	1591	0.080
1645/1	0.004	2070	0.198
1646/1	0.109	2071	0.206
1646/3	0.040	2072	0.425
1647/1	0.158	2077	0.462
1647/2	0.085	2085	0.360
1649	0.194	2079	0.186
1595/1	1.141	2080	0.045
1593	0.615	2081	0.154
1594/2	0.506	2082	0.032
1588/2608	0.587	2083	0.534
1584/1	0.036	2078	0.543
1584/2	0.073	1592	0.154
1585	0.117	योग . . .	<u>127.944</u>
1586	0.081		
1587	0.089	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
1588	0.089		
1589	0.081	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
1590	0.081		
1578/1	0.012		
1578/2	0.324		

क्र. 13-अ-82-2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
 (ख) तहसील—टीकमगढ़  
 (ग) नगर/ग्राम—धर्मपुरा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—206.450 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1

0.466

2

0.692

4

0.672

6/1

2.043

6/2

0.502

7

0.502

8

0.069

9

0.065

10

0.073

11

0.020

12

0.077

13/1

0.186

13/2

0.097

14

0.087

15

0.259

16

0.154

17

0.170

19

1.080

22

0.115

24/596

0.355

25

0.255

27

0.012

28

0.040

29/2

0.089

31

0.036

32

0.032

33

0.036

34

0.036

(1)

(2)

35

0.040

36

0.061

37

0.065

38

0.053

39

0.049

40

0.081

41

0.105

42

0.041

43

0.028

44

0.040

45

1.155

46

0.040

47

2.028

48

0.036

49

0.036

50

0.121

51

0.206

52

0.219

53

0.283

54

0.214

55

0.336

56

0.040

57

0.251

58

0.028

59

0.198

60

0.121

64/2

0.506

67

0.809

68

0.320

69/क

0.364

72

0.620

73

0.401

74

0.049

75

0.040

76

0.255

77

0.024

79

1.263

80

1.105

81

0.012

82

0.097

83

0.069

84

0.077

85

0.223

86

0.247

(1)	(2)	(1)	(2)
87	0.295	130	0.101
88	0.219	131	2.403
89	1.271	132	1.177
90	0.158	133	0.223
91	0.057	135	0.450
92	0.020	136	0.324
93	0.028	137	0.170
94	0.243	138	0.214
95	0.198	139	0.138
96	0.101	140	0.024
96/585	0.045	141	0.069
97	0.138	142	0.097
98	0.235	143	0.105
99	0.109	144	0.061
100	0.121	145	0.125
102	0.085	146	0.061
103	0.081	147	0.012
104	0.142	148	0.129
105	0.324	149	0.190
105/586	0.134	150	0.138
106	0.190	151	0.057
107	0.299	152/1	0.036
108	0.130	152/2	0.032
109	0.154	153/2	0.142
110	0.077	153/2/1	0.142
111	0.247	154	0.174
112	0.061	155	0.158
113	0.142	156/1	0.279
115	0.090	156/2	0.279
116	0.093	157/1	0.085
117	0.101	157/2	0.081
118	0.206	158	0.016
119	0.255	159	0.040
120	0.174	160	0.053
121	0.198	161	0.275
122	0.012	162	0.308
123	0.295	164	0.045
124	0.299	167	0.223
125	0.223	168	0.040
126	0.219	169	0.219
126/587	0.032	170	0.551
127	0.069	171	0.028
128	0.085	172	0.109
129	0.073	173	0.283

(1)	(2)	(1)	(2)
174	0.105	218	0.138
175	0.749	219	0.129
176	0.012	220	0.242
177	0.113	220/627	0.376
178	0.081	220/627/1	0.186
179	0.109	220/627/क	0.486
180	0.186	221	3.687
181	0.024	222	1.840
182	0.032	223	0.040
183	0.028	224/1	0.178
184	0.214	224/2	0.283
185	0.024	225/1	0.607
186	0.016	226	0.109
187	0.182	227	0.061
188	0.182	228	0.105
189	0.239	229/1	0.045
190	0.202	230	0.089
191	0.259	231	0.040
192	0.219	232	0.299
193	0.506	233	0.065
194	0.125	233/589	0.040
195	0.652	234	0.255
196	1.433	234/588	0.117
197	0.304	235	0.129
198	0.445	236	0.020
199	0.129	237	0.316
200	0.024	238	0.073
201	0.190	239	0.093
202	0.198	240	0.049
203	0.101	240/590	0.036
204	0.020	240/591	0.024
205	0.409	241	0.340
206	0.089	243	0.069
207	0.166	246	0.567
208	0.065	248	0.902
209	0.040	249	0.384
210	0.125	250	0.332
211	0.049	251	1.315
212	0.028	252	0.530
213	0.040	253	1.509
214	0.502	254	1.441
215	0.239	255	0.113
216	0.352	256	0.943
217	0.125	257	0.583

(1)	(2)	(1)	(2)
258/2	1.719	296	0.239
258/3	0.910	297	0.340
258/4	0.647	298	0.304
259	0.971	299/1	0.340
260	0.412	299/2	0.410
264/2	1.416	300	0.206
264/3	1.416	302	1.720
264/4	1.416	305	0.320
264/5	2.023	306	1.133
264/6	2.023	307/2	1.449
264/7	2.023	307/3	0.462
265	0.174	308	1.542
265/1	0.429	309/2	0.551
265/2	0.129	311	0.809
266	0.287	312/1	0.874
268	0.781	312/2	0.093
269/1	0.619	314	2.521
269/2	0.097	316/1	0.906
270/2	0.024	317	0.802
271	0.979	318	1.449
272	0.979	319	0.599
273	0.591	319/583	0.073
275	1.975	320	0.199
276/1	0.048	321	0.125
279/1	0.510	322	1.157
279/2	0.008	323	0.615
280/1	0.563	323/623	0.295
280/2	0.231	324	0.486
281	1.364	325	1.959
282	0.097	326	0.308
283	0.275	327	0.069
284	0.821	328	0.077
285	0.340	329	0.142
286	0.348	330	0.020
287	0.190	331	0.101
288	0.619	332	0.890
289	0.793	333	0.113
290	0.053	334	0.069
291	0.352	335	0.182
29	0.316	336	0.158
294	0.356	337	0.458

(1)	(2)	(1)	(2)
338	1.133	386	0.324
341	0.065	386/326	0.336
342	0.069	387	0.453
343	0.049	388	0.028
344	0.174	389	0.057
345	0.182	390	0.053
346	0.200	391	0.093
347	0.251	392	0.376
348	0.170	393	0.194
349	0.202	394	0.227
350	0.101	395	0.195
350/1	0.263	397	0.223
351	0.069	398	0.372
352	0.032	399	0.551
353	0.121	400	0.101
354	0.053	401	0.344
355	0.057	402	0.032
356	1.295	403	0.223
357	1.740	404	0.085
358	0.251	405	0.263
363	1.117	406	0.024
364	0.166	407	0.267
366	0.983	408	0.170
368	0.077	409	0.154
370	0.304	410	0.396
371	0.510	411	0.049
372	0.445	412	0.065
372/623	0.295	413	0.089
372/624	0.016	414	0.154
373	0.061	415	0.194
374	0.295	416/593	0.105
375	0.210	418	0.081
376	0.299	419	0.138
377	0.061	420	0.093
378	0.040	421	0.065
379	0.089	422	0.053
380	0.020	423	0.560
381	0.101	424	0.065
382	0.057	425	0.113
383	0.178	426	0.101
384	0.121	427	0.065
385	0.247	428	0.352

(1)	(2)	(1)	(2)
428	0.134	475	0.158
429	0.129	476	0.425
430	0.319	477	0.219
431	0.024	477/595	0.129
433	0.478	479	0.045
434	0.632	479/594	0.008
435	0.146	480	0.518
436	0.057	481	0.450
437	0.890	481/1	0.465
438	0.862	484/2/1	0.065
439	0.032	486/622	0.255
440	0.458	486/622/क	0.255
441	0.328	486/625	0.186
442	0.028	486/625/क	0.186
443	0.235	493/1	0.109
444	0.530	494/2	0.255
445	1.052	495/2	0.259
446	0.575	496/2	0.785
447	0.644	498	0.591
448	0.186	499	1.951
449	0.077	500	2.310
452	0.134	501/2	0.113
453	0.154	502/1	0.813
455	0.093	502/2	0.450
456	0.024	504	0.077
457	0.085	506	0.320
458	0.077	508	1.181
459	0.146	509	0.291
460	0.125	510	0.409
461	0.117	511	0.745
462	0.028	512	0.210
463	0.162	513	0.356
464	0.089	513/614	0.166
465	0.251	513/614/1	0.166
466	0.146	513/614/2	0.170
467	0.093	513/614/2/क	0.170
468	0.154	513/615/1	0.316
469	0.129	513/615/2	0.312
470	0.008	513/616	0.376
471	0.162	513/617	0.721
472	0.150	513/618/1	0.158
473	0.105		
474	0.291		



(1)	(2)	(1)	(2)
513/519/2	0.154	552/2	0.077
513/619	0.348	553/1	3.068
513/620	0.291	553/2	2.626
513/621	0.999	556	1.104
514	0.874	557	0.105
515	0.081	557/608	0.032
516	0.065	558	0.324
517	0.057	559	0.125
518	0.061	560	0.206
519	0.097	560/606	0.162
520	0.020	561	0.549
521	0.259	562	0.295
522	0.097	563	0.364
523	1.076	564	0.364
524	0.938	565	0.397
525	1.076	566	0.239
526	0.065	567	0.239
527	1.267	568	0.761
529	0.214	568/613	0.332
531	0.526	568/616	0.332
532	1.684	569	0.971
533	2.841	570	0.478
533/597	0.413	571	0.336
534	3.310	572	0.502
537	0.454	573	0.421
538	0.227	574	0.223
539	0.906	575	0.255
540	0.696	576	0.599
541	0.397	577	0.821
542	0.773	578	0.579
543	0.210	578/609	0.450
544	0.210	579/2	0.012
545	0.198	580/1	1.000
545/598	0.190	580/2	0.870
545/599	0.206	581	0.709
545/600	0.138	634	0.028
546	0.198	योग . . .	<u>206.450</u>
547	0.069		
548	0.081	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
549	0.267	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
549/601	0.388		
550	0.854		
551/1	1.092		
551/2	0.089		

क्र. 14-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) ग्राम—रामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—53.133 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1149

1.036

1150

0.040

1152

0.922

1153

0.049

1154

0.336

1155

0.231

1160

1.376

1161

0.049

1162

0.422

1163

0.032

1164

0.259

1178

0.219

1180

0.472

1181

0.089

1182

0.393

1186

0.433

1188

0.069

1189

1.364

1190

0.065

1282/2

1.324

1289/2

0.068

1290/2

0.204

(1)

(2)

1292/2

0.559

1298

2.02

1302

0.365

1301

0.045

1306

0.421

1308

0.64

1310/1

0.208

1310/2

0.505

1314

0.279

1315

0.599

1317

0.308

1318

0.243

1319

0.32

1321

0.53

1322

0.833

1325

0.202

1326

0.117

1328

0.032

1336

0.684

1338

0.624

1342

0.121

1343/3

0.174

1343/4

0.817

1343/5

0.47

1344

0.64

1345

0.938

1347

0.348

1348

0.065

1356

1.214

1358

0.829

1359

0.291

1360

0.146

1361

0.36

1362

0.898

1364

0.348

1366

0.615

1368

0.486

(1)	(2)	(1)	(2)
1369	0.275	1444	0.849
1372	0.773	1445	0.786
1374	0.525	1447	0.202
1377	0.696	1448	0.906
1380	1.072	1450	0.328
1381	0.166	1451	0.308
1383	0.125	1452	0.717
1384	0.518	1453	0.057
1385	0.458	1455	0.247
1386	0.53	1457	0.417
1391	0.186	1458	0.053
1392	0.251	1461	0.547
1394	1.185	1463	0.437
1395	0.563	1464	0.089
1396	0.219	1465	0.182
1398	0.34	1443/1	0.17
1400	0.36	1431	0.093
1402	0.587	1432	0.166
1408	0.235	1434	0.283
1409	0.324	1302/2	0.388
1411	0.534	1303/1	0.261
1413	0.93	1304/2	0.232
1414	0.097	1311/2	0.04
1416	0.481	1312/2	0.568
1417	0.142	1327/2	0.174
1418	0.174	1329/2	0.567
1420	0.482	1332/2	0.64
1422	0.502	1334/2	0.15
1425/क	0.04	1340/2	0.902
1425/ख	0.032		योग . . . 53.133
1425/ग	0.049		
1427	0.433		
1429	0.729		
1430	1.011		
1435	0.093		
1436	0.235		
1438	0.008		
1439	0.352		
1440	0.817		
1441	0.563		
1442	0.15		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 15-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—टीकमगढ़  
(ग) नगर/ग्राम—डिकौली चक्र-2  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—49.367 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
966	1.951	970	0.397
964	0.057	971	0.547
965	0.109	972	0.170
963/2	0.700	973	0.494
962/1	0.900	974	0.267
955	0.170	975	0.024
956/1	0.275	976	0.198
957/1	0.065	977	0.150
907	0.081	978	0.543
952	0.733	979	0.109
967	0.534	980	0.061
968	0.028	981	0.384
969	0.425	983	0.979
948	0.433	984	1.796
949	0.024	985	0.024
950	0.372	986	0.020
939/2	0.202	987	0.125
941	0.020	988	1.902
942	0.194	989	1.348
648/1123	0.223	984/1165	0.045
648/1124	0.182	985/1166	0.526
934	0.057	947	0.077
935	0.069	990	0.405
936	0.113	991	1.234
933	0.016	864	0.060
937	0.182	865	0.186
938	0.061	867	0.150
928	0.097	868	0.036
930	0.032	869	0.302
		870	0.890
		871	0.600
		857	0.550
		996	0.579
		992	0.125
		993	0.093
		994	0.101
		995	0.186
		997	0.500
		998	0.300
		1001	0.221
		1009	0.425
		1010	0.494
		1011	0.057
		1012	0.482

(1)	(2)	(1)	(2)
1013	0.486	1052	0.125
1008	0.862	1053	0.125
1085	0.680	1054	0.105
1084/1/1	0.371	1055	0.194
1084/2	0.735	1056	0.158
1083	0.437	1057	0.008
1081	0.474	1058	0.308
1080/1169	0.267	1059	0.069
1080/1168	0.324	1060	0.522
1084	0.833	1045/1129	0.733
1077	0.219	1067	0.445
1078	0.081	1068	0.185
1079	0.672	1061	0.364
1080	0.209	1062	0.405
1074	0.372	1006	0.214
1075	0.247	1008	0.862
1069	0.053	1013	0.486
1070	0.34	1014	0.142
1071	0.146	1015	0.097
1072	0.668	1016	0.089
1073	0.781	1017	0.049
1076/1	0.178	1018	0.692
1076/2	0.089	1019	0.186
1031	0.097	1020	0.045
1032	0.158	1021	0.100
1034	0.138	1022	0.409
1035	0.210	1023	0.543
1036	0.170	1024	0.028
1037	0.077	1025	0.522
1038	0.036	1026	0.206
1039	0.154	1027	0.295
1040	0.142	1028	0.081
1041	0.085	1029	0.089
1042	0.308	1085/1170	0.462
1043	0.664	योग . . .	<u>49.367</u>
1044	0.170	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.	
1045	0.219	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
1046	0.498		
1048	0.251		
1049	0.352		
1050	0.134		
1051	0.170		

क्र. 16-अ-82-2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—पुरैनियां

(घ) लगभग क्षेत्रफल —142.072 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

160

0.129

161

0.190

163

0.656

164

0.227

166

1.271

167

0.397

169

0.146

170

0.757

170/1

0.103

174/1

0.625

174/3

0.625

179/2

0.304

180/1

0.660

180/2

0.138

190

0.470

191

1.862

192

0.109

193

0.340

194

0.150

195

0.134

196

0.174

197

0.061

349

0.304

350

0.462

(1)

(2)

198

0.874

202

0.227

203

0.194

204

0.543

205/1

0.093

205/2

0.089

206

0.206

207

0.045

208

0.534

306

0.182

308

1.015

310/1

0.431

310/2

1.200

311

0.085

312

0.049

313

0.364

314

0.121

315

0.142

316

0.514

317

0.020

318

0.384

319

0.024

320

0.320

321

0.182

321/636

0.045

321/637

0.028

322

0.045

324

0.045

325

0.445

326

0.506

327

0.105

328

0.773

329

0.162

330

0.680

332

0.563

333

0.283

335

0.061

336

0.178

337

0.206

338

0.186

338/638

0.134

(1)	(2)	(1)	(2)
339	0.061	385/1	0.405
340	0.251	385/2	0.139
341	0.405	574	0.376
342	0.219	577	0.267
343	0.910	385/3	0.140
345	0.417	386	0.881
346	0.433	390	0.652
351	0.737	394	0.142
352	0.040	467	0.520
353	0.057	468	0.231
354	0.854	500	0.180
355	0.619	501	0.081
356	0.866	503	0.280
358	0.061	506	0.547
359	0.016	507	0.951
360	0.053	509	0.522
361	0.178	510	1.445
362	0.575	511	0.514
363	0.227	512	0.802
364	0.057	514	0.490
365	0.134	515/1	1.096
367	0.287	515/2	1.097
368	0.397	516/1	0.479
369/1	0.221	516/2	0.476
369/2	0.220	519/1	0.184
370	0.474	519/2	0.184
371	0.121	522	0.975
372	0.174	524	0.069
373	0.571	530	1.639
373/639	0.769	533	0.652
374	0.113	534	1.210
375	0.587	535	0.833
376	0.547	536	1.092
377	0.097	539	1.886
378	0.348	540/1	0.508
379	0.316	540/2	0.425
380	0.534	540/3	1.000
381	0.478	540/4	0.500
382	0.287	540/5	1.803
383	0.271	540/6	0.500
384	0.247	540/7	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
540/9	1.214	581	0.231
540/11	0.195	582	0.158
540/12	0.430	583	0.101
540/13	0.710	584	0.295
540/14	1.000	586	0.534
540/15	0.500	587	0.304
541	3.399	589	0.951
543	1.194	590	1.133
545	0.384	591/1	0.405
546	0.510	591/2	2.302
547	0.466	592	1.356
548/1	0.437	593	0.798
550/1	2.023	594	1.910
550/2	0.461	595	1.056
550/5	0.782	597	0.951
550/6	0.224	598	0.567
551/2	0.233	599	3.532
551/3	0.500	600	0.259
552	0.753	601/1	0.431
553	0.737	601/2	0.431
554	1.967	601/3	0.431
556	1.238	601/4	0.431
557/1/1	0.716	601/5	0.433
557/2/2	0.500	602	0.979
557/3/3	0.240	603	0.890
558	0.304	604	0.640
559/1	0.785	605	2.063
559/2	0.785	607	1.088
559/646	0.575	608	0.356
560/1	2.200	610	1.153
560/2	2.199	611	1.987
562	0.247	612	0.890
563	1.627	614/1	1.082
564/1	0.941	614/2	0.809
564/2	0.891	615	0.575
565	3.431	616	0.417
567	1.664	617	0.975
569	1.639	618	0.874
573	0.138	619	0.676
579	0.587	620	0.304
580	0.121	621	1.153



(1)	(2)	(1)	(2)
622	0.117	624	0.016
625	1.505	625	0.114
629	1.765	626	0.052
631	0.348	627	0.065
योग . .	<u>142.072</u>	628	0.069
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.		629	0.106
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		630	0.129
		631	0.049
		632	0.122
		633	0.565
		634	0.421
क्र. 17-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		756/1	0.180
		779/2	0.325
		800/1	0.641
		802	0.817
		803	0.368
		812	0.632
		813	0.073
		814	0.547
		815	0.854
		817	0.101
		818	0.154
		836/1	0.360
		838	0.547
		839	0.140
		840	0.104
		841	0.154
		842	0.032
		योग . .	<u>7.760</u>
खसरा अर्जित रकबा		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.	
नंबर (हे. में)		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
(1) (2)			
544	0.275		
609	0.041		
610	0.040		
611	0.044		
612	0.061		
613	0.065		
614	0.073		
615	0.048		
616	0.016		
617	0.040		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. एफ-6-42-2013-सात-नजूल.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 के अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक या परोपकारी गतिविधियों में संलग्न पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए निम्नानुसार नीति जारी करती है :—

1. इस विभाग द्वारा निवेशकों के लिए भूमि आवंटन के लिए जारी की गई नीति परिपत्र क्रमांक 16-14/2013/सात/शा.2ए, दिनांक 30 मई 2013 की कंडिका 4 में आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा प्रदेश में उपलब्ध नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों में स्थित समस्त दखलरहित भूमि के लिए लेण्ड बैंक बनाया गया है जिसे प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर अद्यतन किया जाकर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त की वेबसाइट ([www.landrecord.mp.gov.in](http://www.landrecord.mp.gov.in)) पर प्रदर्शित भी किया गया है. इस प्रकार तैयार एवं प्रदर्शित लेण्ड बैंक में उपलब्ध भूमियों में से सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन के लिए चयन की जा सकती हैं. ऐसी संस्थाओं को भूमि आवंटन के बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाएगी.
2. सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी संस्था को पूर्त संस्था (चेरिटेबिल संस्था) समझा जाएगा. पूर्त संस्था से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसकी गतिविधियां पूर्त प्रयोजन से सम्बद्ध हो और 'पूर्ण प्रयोजन' से अभिप्रेत है, शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था/अनाथाश्रम स्थापित करना, लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, स्कूल शिक्षा/कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना, सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना, खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.
3. पूर्त संस्थाओं के भूमि आवंटन के आवेदन का परीक्षण करने के लिए निम्न बिन्दु सम्मिलित किए जाएंगे :—
  - (क) संस्था का पंजीयन;
  - (ख) संस्था के लक्ष्य, उद्देश्य और गतिविधियां;
  - (ग) संस्था की वित्तीय स्थिति तथा उनके द्वारा तैयार की गयी योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता जिसमें भवन निर्माण कराने वाली लागत एवं गतिविधियों के संचालन के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता सम्मिलित हो;
  - (घ) संस्था की प्रस्तावित योजना के लिए भूमि का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल, जो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रतिवेदित तथा अनुशंसित हो.
4. पूर्त संस्थाओं द्वारा आवेदन कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारियां दी जाएंगी और दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी :—
  - (क) निम्न जानकारी जो देना होगी—
    - (एक) भू-खण्ड के विवरण, क्रमांक तथा पहचान के अन्य चिन्ह जो कि नजूल अभिलेखों में दर्ज हों एवं लैण्ड बैंक में उल्लेखित हो.
    - (दो) प्रयोजन जिसके लिए भू-खण्ड का आवंटन चाहा गया है.
    - (तीन) अन्य सुसंगत जानकारी जैसे—भू-खण्ड से लगी हुई आवेदक की भूमि है आदि-आदि.

- (चार) आवेदक संस्था को इस आशय का undertaking देना होगा कि उसे आवंटित की जाने वाली भूमि पर संचालित संस्था का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ/जाति/सम्प्रदाय विशेष के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.
- (ख) निम्न दस्तावेज जो संलग्न करना होंगे—
- (एक) पूर्ण संस्था अथवा सामाजिक संस्था के मामले में तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र. (आवेदक संस्था आवेदन की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना अनिवार्य है).
- (दो) संस्था की वित्तीय स्थिति. (आवेदक संस्था द्वारा आवेदित भू-खण्ड पर अनुमत एफ.ए.आर. के अनुसार निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के तत्समय लागू निर्देशों के अनुक्रम में एस.ओ.आर. के अनुसार आवश्यक राशि की दस प्रतिशत राशि की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है).
- (तीन) विगत 3 वर्ष की बेलेंस सीट (चार्टर्ड अकाउन्टेट द्वारा सत्यापित).
- (चार) विगत 3 वर्षों में संस्था द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं उपलब्धियों विषयक प्रमाण-पत्र.
- (पांच) भू-खण्ड का प्लान नक्शा.
- (छः) विकास योजना एवं भूमि विकास नियम, 2012 के अन्तर्गत अनुमत भूमि उपयोग का उल्लेख करते हुए फर्श, क्षेत्र, अनुपात के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार निर्माण को ध्यान में रखते हुए संस्था के प्रस्तावित निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि के क्षेत्रफल का विवरण (आंकलन के आधारों के साथ).
5. किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्ण संस्था को ऐसी संस्था के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि का आंकलन तत्समय लागू तत्स्थानीय विकास योजना (मास्टर प्लॉन) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अन्तर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use) तथा फर्श क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio-एफ.ए.आर) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित उर्ध्वाकार (vertically) निर्माण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :
- परन्तु किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्ण संस्था को एक ही नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक स्थान पर भूमि आवंटित नहीं की जाएगी.
6. पूर्ण संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामले में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :—
- (1) कलेक्टर यदि परीक्षण उपरान्त यह पाता है कि भूमि पूर्ण संस्था को रियायती दर पर आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जिसमें न्यूनतम 15 दिवस की अवधि देते हुए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. सार्वजनिक सूचना में इस आशय का भी आह्वान किया जाएगा कि यदि आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन समान प्रयोजन के लिए अथवा प्रश्नाधीन भूमि के लिए निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन चाहता है तो वह भी अपना दावा अपनी आर्हताओं के विवरण के साथ कंडिका 9 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए कलेक्टर को सूचना में उल्लेखित नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा.
- (2) सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय, यथास्थिति स्थानीय निकाय—नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रदेश स्तर के दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, में भी प्रकाशित की जाएगी. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश की कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.
- (3) उक्तानुसार सार्वजनिक सूचना जारी, प्रदर्शित तथा अपलोड किए जाने की तिथि के पश्चात् यदि कलेक्टर को नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होते हैं तो कलेक्टर ऐसी आपत्ति/सुझाव की समुचित जांच कर निराकरण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अमान्य करता है तो भूमि आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु यदि सार्वजनिक सूचना में दी गई अवधि के भीतर कोई अन्य दावेदार प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करता है तो कलेक्टर ऐसे प्राप्त दावे के साथ सम्पूर्ण प्रकरण का पुनः परीक्षण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि कलेक्टर आवेदक के अतिरिक्त किसी/किन्हीं दावेदारों को प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए उपयुक्त/पात्र पाता है तो ऐसे समान पात्रता रखने वाले आवेदक/दावेदार संस्थाओं की सूची तैयार करेगा.

(4) यदि कलेक्टर प्राप्त आपत्तियों को निरस्त करने का निर्णय लेता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए अपना निर्णय अभिलिखित करेगा और आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा.

7. इस नीति के अनुसार :—

(1) आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् कोई अन्य दावेदार समान पात्रता धारण नहीं करता है तो मूल आवेदक के पक्ष में आवंटन की आगामी कार्यवाही की जाएगी.

(2) एक ही भूमि या उसके अंश भाग के आवंटन के लिये यदि एक से अधिक आवेदक पात्र पाये जाते हैं तो उनके संबंध में आपत्ति-सुझाव के निराकरण के पश्चात् कलेक्टर उनमें से किसी एक के चयन के लिये आवेदक संस्था के उद्देश्य के आधार पर प्रयोजन अनुसार निम्न प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन करेगा :—

- (क) शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिये संस्था;
- (ख) अनाथाश्रम स्थापित करना;
- (ग) वृद्धाश्रम स्थापित करना;
- (घ) लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना;
- (ङ) स्कूल शिक्षा/कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना;
- (च) लड़कों के लिये छात्रावास स्थापित करना;
- (छ) सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना;
- (ज) खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना;
- (झ) ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.

(3) यदि आवेदक संस्था के अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार संस्था प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्र होने के आधार पर उप कंडिका (2) में उल्लेखित प्रयोजनों में से किसी एक ही प्रयोजन के लिए उपयुक्त पायी जाती है तथा प्राथमिकता क्रम के आधार पर वरियता निर्धारित नहीं की जा सकती तो कलेक्टर एक ही प्रश्नाधीन भूमि के लिए एकाधिक पात्र आवेदक/दावेदार संस्थाएं होने के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्नाधीन भूमि किसे आवंटित की जा सकेगी, आगामी 30 दिवस के भीतर खुली लॉटरी आयोजित करेगा जिसमें संबंधित आवेदक/दावेदार संस्थाओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग लेने हेतु आहूत किए जाएंगे. इस प्रकार आयोजित लॉटरी में संबंधित आवेदक/दावेदार संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपस्थित रह सकेगा. नियत तिथि एवं समय पर लॉटरी निकाली जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदित आवेदक/दावेदार संस्थाओं में से कौन पात्र है.

इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नाधीन भूमि किस आवेदक/दावेदार संस्था को आवंटित की जा सकती है.

8. (1) उपरोक्तानुसार आवंटन के लिए उपयुक्त आवेदक/दावेदार संस्था का निर्धारण करने के उपरान्त कलेक्टर यथास्थिति भूमि आवंटन के लिए प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका (25) की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ संभागीय आयुक्त की ओर अर्पित करेगा, जो अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु संप्रेषित करेगा.

- (2) उक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में नजूल भूमियों के आवंटन के लिये गठित अंतर्विभागीय समिति में भू-खण्ड आवंटित करने के लिये प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा. अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जा सकेगा.
9. सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामलों में भू-खण्ड के बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत के बराबर राशि प्रब्याजि ली जावेगी और ली जाने वाली प्रब्याजि पर 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक भू-भाटक लिया जाएगा.
10. यदि किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तें भी रखी जाएगी :—
- (क) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;
- (ख) संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारम्भ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;
- (ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी/तहसीलदार नजूल को संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;
- (घ) ऐसे ही अन्य बिन्दु जो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार कलेक्टर ठीक समझे;
- (ङ) आवेदक संस्था द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित संस्था का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ/जाति/सम्प्रदाय विशेष के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा;
- (च) आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी और ऐसा करने पर भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.
11. आवंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर या आगामी 31 मार्च के पूर्व (इनमें से जो पहले हो) आवंटिती द्वारा आवंटन स्वीकृति आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगी. इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा :
- परन्तु 31 जनवरी के पश्चात् जारी किए गए आवंटन आदेश के संदर्भ में यदि दो माह की अवधि की अवसान की तिथि 31 मार्च के पश्चात् आती है तो उक्त आवंटन आदेश उस दशा में स्वतः समाप्त नहीं होगा, यदि आवंटिती आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं उस पर देय वार्षिक भू-भाटक ऐसी दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व जमा करता है :
- परन्तु यह भी कि आवंटिती द्वारा यथास्थिति 31 मार्च के पूर्व अथवा आवंटन स्वीकृति के दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है तो युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी. इस प्रकार राशि की अदायगी की तिथि के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक और ऐसी देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा.
12. सामाजिक, सांस्कृतिक या परोपकारी गतिविधियों में संलग्न ऐसी संस्थाओं के मामलों में इस परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी हो चुके हैं.
13. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का अनुलग्न भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.